"हमने ऐसे उपाय किए हैं जिनसे भारत के संपूर्ण सड़क क्षेत्र का रूप बदल जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भी स्थायी प्रभाव पड़ेगा ।"

"हमारा प्रयास है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की ऐसी ग्रिड बनाई जाए जिससे देश में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग से 50 कि.मी. से दूर न रहे ।"

(मेजर जनरल बी.सी.खण्डूड़ी)
ए वी एस एम (सेवानिवृत्त)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

विषय-वस्तु

अध्याय		पृष्ठ
I	परिचय	5
II	वर्ष एक दृष्टि में	9
III	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	14
IV	अनुसंधान और विकास	19
V	सड़क विकास	25
VI	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	31
VII	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	35
VIII	सीमा सड़क संगठन	39
IX	राजभाषा नीति का अनुपालन	51
X	प्रशासन और वित्त	53
XI	सतर्कता	57
XII	संगठन एवं पद्धति तथा लोक शिकायत निवारण	58
XIII	विभागीय लेखा संगठन एवं ढांचा	59
XIV	विविध	61

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट I	निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाए	62
परिशिष्ट II	देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	65
परिशिष्ट III	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आबंटन	66
परिशिष्ट IV	सीमा सड़क विकास बोर्ड का संगठन ढांचा	67
परिशिष्ट V	महानिदेशक सीमा सड़क मुख्यालय का संगठन ढांचा	68
परिशिष्ट VI	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की ओर	69
परिशिष्ट VII	सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	71
परिशिष्ट VIII	वर्ष 2002-03 के लिए अनुदानों के संबंध में बचत/आधिक्य की स्थिति	72
परिशिष्ट IX	वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के लिए निधियों के स्रोत	73
परिशिष्ट X	वर्ष 2002-03 के दौरान निधियों का प्रयोग	74
परिशिष्ट XI	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश	75

अध्याय- I

परिचय

नवंबर, 2000 में पूर्व जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विभाजन के फलस्वरूप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय अस्तित्व में आए ।

सड़कें राष्ट्र की धमनियों की भांति हैं जिनमें देश के सभी कोनों से व्यापार और वाणिज्य रूपी रक्त का संचार होता है । इनसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है और उसे बनाए रखने में सहायक होती हैं । राष्ट्रीय एकता में भी सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषतः भारत जैसे आकार के देश में ।

हमारे देश में 3.32 मिलियन कि.मी. लंबा विशाल सड़क नेटवर्क है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,95,000 कि.मी. है । 58,112 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जिसके लिए यह मंत्रालय उत्तरदायी है, कुल सड़क लंबाई का केवल 1.75 % है किंतु इन पर पूरे देश में 40 % यातायात होता है । इस नेटवर्क पर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ रहा है । विगत कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष 12 % की दर से तेजी से वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप, सड़कों पर यातायात प्रतिवर्ष 7-10 % की दर से बढ़ रहा है । सन् 1950-51 में माल और यात्री यातायात का हिस्सा क्रमशः 12 % और 31.6 % था । दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माल और यात्री यातायात के बढ़कर क्रमशः 65 % और 87 % होने का अनुमान है । अतः सड़क नेटवर्क में तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण न केवल वर्तमान और भावी यातायात से निपटने के लिए बल्कि पृष्ठ भूभागों तक सुगम्यता में सुधार के लिए आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, ऊर्जा खपत में अधिक बचत, प्रदूषण में कमी तथा सड़क सुरक्षा में वृद्धि के लिए सड़क यातायात को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है ।

इस सबके लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है । अब तक का इतिहास यह रहा है कि सड़कों विशेषकर राजमार्गों में मुख्यतः सरकार द्वारा ही निवेश किया जाता था जिसका मुख्य कारण अत्यधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता, परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि, अनिश्चित प्रतिलाभ तथा इनसे जुड़े अनेक बाहरी कारण थे । अभी हाल में, संसाधनों की तेजी से बढ़ती आवश्यकता तथा प्रबंधकीय दक्षता संबंधी सरोकार एवं उपभोक्ता सजगता के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी हुई है । इस मंत्रालय ने राजमार्ग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर रियायत और सड़क निर्माण उपस्कर एवं मशीनरी के निःशुल्क आयात जैसे अनेक प्रोत्साहन देने के अलावा 'व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश' तैयार किए हैं । प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए 'आदर्श रियायत करारों' को भी अंतिम रूप दिया गया है ।

निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर अनेक पथकर आधारित परियोजनाएं तैयार की गई हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारी मात्रा में अग्रिम रूप में पूंजी निवेश और राजस्व वसूली में अत्यधिक जोखिम निजी क्षेत्र की भागीदारी में अवरोध बन सकता है, सरकार ने कुछ परियोजनाएं वार्षिकी आधार पर भी देने का निर्णय लिया है वार्षिकी भुगतान स्कीम के तहत बी ओ टी परियोजनाओं के लिए एक 'रियायत करार' को अंतिम रूप दिया गया है और कई परियोजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई हैं । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष प्रयोजन तंत्र (एस पी वी) भी तैयार किया है ।

केंद्र सरकार ने सड़क कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि, केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की है । इस निधि को पेट्रोल और डीजल पर 1 रु. प्रति लीटर की दर से प्राप्त उपकर से धन मिलेगा । माननीय वित्तमंत्री ने वर्ष 2003-04 के अपने बजट भाषण में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उपकर लगाने की घोषणा की है । केंद्रीय सड़क निधि की यह धनराशि सहमत फार्मूला के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों, रेल उपरि पुलों/नीचे पुलों के विकास और रखरखाव तथा अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए वितरित की जाती है ।

इस मंत्रालय को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास हेतु राज्यों के लिए धनराशि अनुमोदित करने और जारी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है । इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय सड़क और पुलों के लिए मानक और विनिर्देश तैयार करने तथा तकनीकी ज्ञान के एक भंडार के तौर पर कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार है ।

यह मंत्रालय सड़क सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को भी महसूस करता है । सड़क सुरक्षा के तीन पहलू हैं - इंजीनियरी, प्रवर्तन और शिक्षा । राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन स्तर पर ही इंजीनियरी पहलू पर ध्यान दिया जाता है । प्रवर्तन तंत्र संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के हाथ में होता है। शिक्षाप्रद पहलू पर ध्यान प्रिंट, श्रव्य तथा दृश्य-श्रव्य मीडिया में प्रचार करके दिया जाता है जिनमें राज्य और गैर सरकारी संगठन शामिल होते हैं ।

अध्याय- II

वर्ष एक दृष्टि में

सड़क परिवहन

19 सितम्बर, 2003 को अगरतला और बंग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच एक बस सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया गया ।

भारत स्टेज-I उत्सर्जन मानक, जो यूरो I मानकों के सदृश है, पूरे देश में लागू हैं । भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक, जो यूरो-II मानकों के सदृश हैं और जिन्हें 2001-02 में दिल्ली-मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में लागू कर दिया गया था, अब दिनांक 1.4.2003 से आगरा, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद/सिकंदराबाद, कानपुर, पुणे और सूरत शहरों में भी दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए लागू कर दिए गए हैं ।

भारत स्टेज-II मानक, दिनांक 1.4.2005 को और इसके बाद विनिर्मित सभी चौपहिया वाहनों के लिए देश भर में लागू होंगे । 1 अप्रैल, 2005 से और उसके बाद विनिर्मित दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए अगली पीढ़ी के उत्सर्जन मानक भी अधिसूचित किए गए हैं ।

पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किए जाने को मानकीकृत कर दिया गया है ।

देश भर में 5 से 11 जनवरी, 2004 तक 15वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया । इस बार इसका प्रसंग था - "अच्छी सड़कों का मतलब यह नहीं कि आप अपना जीवन नष्ट कर दें" (अर्थात् ओवर स्पीडिंग से बचें) । राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन निर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों आदि ने इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

यूनाइटेड स्कूल्स आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के माध्यम से सड़क सुरक्षा विषय पर 12वीं अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता और वाहन प्रदूषण विषय पर सातवीं अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं । ये प्रतियोगिताएं 9-12वीं कक्षा के स्कूली बच्चों के लिए हैं ।

सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए कुल 86 गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की गई है ।

असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 30,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जब कि 2002-03 के दौरान 21,999 चालक प्रशिक्षित किए गए थे ।

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान गैर सरकारी संगठनों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 61 एम्बुलेंस और 60 क्रेनें स्वीकृत की गईं हैं जब कि वर्ष 2002-03 के दौरान 43 एम्बुलेंस और 48 क्रेनें स्वीकृत की गई थीं ।

सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । बैक इंड कंप्यूटरीकरण की शुरूआत की जा रही है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्तर पर पूरे देश में एक सामान्य मानक सॉफ्टवेयर पर विद्यमान ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्योरे शामिल करना है । फ्रंट इंड प्रचालन का भी कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है जिसमें मानक आई एस ओ 7816 विनिर्देशों के आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना शामिल हैं । इससे एक राज्य द्वारा जारी किए गए दस्तावेज दूसरे राज्यों में भी पढ़े जा सकेंगे । बिक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत सॉफ्टवेयर के अधिप्रमाणन के लिए इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता से एन आई सी में एक स्मार्ट कार्ड लैब स्थापित की गई है ।

सड़क विकास

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक विशाल कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है । इस परियोजना के अंतर्गत 54,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत (1999 के मूल्य पर) से 13,146 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 या 6 लेन का बनाने का प्रस्ताव है । यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के दो घटक हैं -

- 5,846 कि.मी. लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं । स्वर्णिम चतुर्भुज को दिसम्बर, 2004 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है । 2005 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है अथवा आंशिक रूप से पूरा हो गया है और 83 कि.मी. लंबे इलाहाबाद बाइपास जहां सिविल कार्य सौंपे जाने का कार्य उन्नत अवस्था में है, को छोड़कर शेष खंडों में यह कार्य चल रहा है । इस विशेष परियोजना का संबंध इलाहाबाद बाइपास के दो सड़क पैकेजों से है जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है ।

● 7300 कि.मी. लंबे उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में (कोचीन-सलेम खंड सहित) कन्याकुमारी से और पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ते हैं। 557 कि.मी. में 4/6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और 423 कि.मी. में यह कार्य चल रहा है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों की शेष लंबाई में यह कार्य अगले वर्ष सौंपे जाने का लक्ष्य है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 10 महापत्तनों को जोड़ने के लिए लगभग 363 कि.मी. लंबी सड़कों को चार लेन का बना रहा है।

इस समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 121 ठेकों पर कार्य चल रहा है जिनमें से 72 ठेके भारतीय फर्मों के पास हैं। अन्य 32 ठेके विदेशी और घरेलू ठेकेदारों के संयुक्त उद्यम के पास हैं तथा केवल 11 ठेके विदेशी फर्मों को मिले हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना अर्थव्यवस्था के लिए भारी लाभप्रद है। केवल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के लिए ही वर्ा 2001-04 के दौरान औसतन 3 - 4 मिलियन मीट्रिक टन सीमेंट और 2.5 - 3 लाख मीट्रिक टन इस्पात की वार्षिक खपत होने की संभावना है। इस परियोजना पर फिलहाल प्रतिदिन 2.5 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और इससे लगभग 189 मिलियन श्रम दिवस रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के पूरा होने पर ईंधन की खपत में बचत, वाहनों की कम टूट-फूट और तेजी से परिवहन आदि के माध्यम से प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रु. (1999 के मूल्य पर) की बचत होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से सीमेंट उद्योग में 5.1 % और इस्पात उद्योग में 7.8 % की वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक वाहनों में भी अप्रैल-सितंबर, 2003 के दौरान 32 % की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के अलावा लगभग 44,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण बजट में उपलब्ध निधियों से किया जा रहा है। इस समय सड़क यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (आई आर क्यू पी) के तहत इन राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। 1999 से मार्च, 2003 तक लगभग 33000 कि.मी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार कार्य योजनागत एवं गैर योजनागत निधियों से स्वीकृत किए गए हैं। चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 4126 कि.मी. लंबाई में गुणता सुधार किए जाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में 30 नवंबर, 2003 तक 474.40 करोड़ रु. के कुल 195 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2004-05 के अंत तक शेष संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में पर्याप्त स्तर तक सुधार किए जाने का लक्ष्य है।

इस मंत्रालय ने सड़कों और बाइपासों को चौड़ा करने और उनके सुदृढ़ीकरण तथा पुलों के सुधार/निर्माण जैसे अन्य कार्य भी शुरू किए हैं। 30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार 1261 कार्य चल रहे हैं। वर्ा 2003-04 में 30 नवम्बर, 2003 तक 763.26 करोड़ रु. के 310 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे, 309 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, 306 कि.मी. लंबी इकहरी लेन की सड़कों को दो लेन का बनाया गया है, 458 कि.मी. में सुदृढ़ीकरण किया गया है और 81 पुल सुधार/निर्माण परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से पश्चिम बंगाल में 1085.7 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से रा.रा. 34 के बारासत (31 कि.मी.) से रानीगंज (398 कि.मी.) मार्ग का विकास शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए ऋण करार पर दिसम्बर, 2002 में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। 197 कि.मी. से 298 कि.मी. खंड के लिए सिविल कार्य हेतु परामर्शक और ठेकेदार के प्रापण का कार्य अग्रिम चरण में है। इस परियोजना को जून, 2007 में पूरा किया जाना है।

एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के पोरबंदर से दीसा खंड को 506.60 कि.मी. तक चार लेन का बनाने का कार्य शुरू किया गया है । इस परियोजना की कुल लागत 2373.50 करोड़ रु0 है जिसमें से एशियाई विकास बैंक 1587 करोड़ रु. (320 मिलियन अमरीकी डालर) का वित्तपोषण कर रहा है । सिविल कार्यों के लिए निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हैं ।

सरकार ने सड़क विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट, उपस्करों के शुल्क मुक्त आयात के रूप में अनेक प्रयास किए हैं । 4925 करोड़ रु. मूल्य की पथकर आधारित कुल 36 परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर बनाई गई हैं । इनमें से 18 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, 11 परियोजनाएं चल रही है और 7 परियोजनाएं ठेके सौंपे जाने के विभिन्न चरणों में हैं । चूंकि भारी अग्रिम पूंजी निवेश और राजस्व वसूली में अत्यधिक जोखिम निजी क्षेत्र की भागीदारी में प्रमुख बाधाएं हैं, सरकार ने वार्षिकी आधार पर कुछ परियोजनाएं सौंपने का निर्णय भी लिया है । 2354 करोड़ रु. मूल्य की 8 परियोजनाएं वार्षिकी आधार पर पहले ही सौंप दी गई हैं और वे प्रगति पर हैं ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष प्रयोजन तंत्र (एस पी वी) बनाया है । कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एस पी वी की अलग विधिक पहचान है । इसमें एन एच ए आई इक्विटी/ऋण के रूप में कुछ धन देता है जब कि शेष धनराशि पत्तनों/वित्तीय संस्थानों/लाभग्राही संगठनों से इक्विटी/ऋण के रूप में प्राप्त होती है । सड़कों/राजमार्गों के विकास पर खर्च की गई राशि निर्धारित रियायत अवधि में पथकर के जरिए वसूल की जानी होती है । 1199 करोड़ रु. की 6 परियोजनाएं एस पी वी विधि से वित्तपोषित हैं और उन पर कार्य चल रहा है । बी ओ टी/वार्षिकी/एस पी वी वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट - I में दी गई है ।

प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना (पी एम बी जे पी)

वित्त मंत्री ने वर्ा 2003-04 के अपने बजट भाषण यह घोाणा की है कि 10,000 कि.मी. की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से भिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग) को निजी क्षेत्र की भागीदारी से चार लेन का बनाया जाएगा ।

प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त, 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में यह घोषणा की थी कि "राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) की परिधि से बाहर और 10,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने और उनका उन्नयन कार्य मार्च, 2004 से पहले शुरू हो जाएगा । चार लेन बनाने की इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी राज्यों की राजधानियों को जो एन एच डी पी से दूर हैं, चार लेन वाले राजमार्ग से एन एच डी पी से जोड़ा जाएगा । इससे विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होगा" ।

इस परियोजना के अंतर्गत जिन खंडों पर कार्य शुरू किया जाना है उनकी पहचान अत्यधिक यातायात सघनता, राज्यों की राजधानियों का एन एच डी पी से संपर्क तथा पर्यटन और आर्थिक महत्व के केंद्रों का एन एच डी पी से संपर्क के आधार पर की जाएगी । इस स्कीम का कार्यान्वयन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के 4640 कि.मी. खंड पहले ही अभिनिर्धारित कर लिए हैं । इसमें से महाराष्ट्र में रा.रा. 50 के पुणे-नासिक खंड (12 कि.मी. - 42 कि.मी.) पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है । इस कार्य के लिए रियायत करार अगस्त, 2003 में निष्पादित किया गया था । इसके अलावा 5 राज्यों में 622 कि.मी. की कुल लंबाई की 7 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं । इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की 1700 कि.मी. और लंबाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं । शेष लंबाई को अंतिम रूप देने पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान

रिपोर्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, राजमार्ग इंजीनियरों के प्रशिक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है । इस संस्थान ने 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 511 इंजीनियरों ने भाग लिया । इसने निम्नलिखित प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए :-

- उत्तर प्रदेश ग्रामीण इंजीनियरी सेवा के इंजीनियरों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) के प्रबंधकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नव नियुक्त कार्यपालक इंजीनियरों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।

- विश्व बैंक वित्तपोषित उत्तर प्रदेश सड़क परियोजना - II के लिए ठेका प्रबंधन/ठेका प्रशासन और गुणता नियंत्रण ।

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत ग्राम सड़कों का निर्माण ।

अध्याय - III

सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

सड़क परिवहन

माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए सड़क परिवहन को सर्वाधिक पसंद किया जाता है । दसवीं योजना अवधि में, अनुमान है कि यात्री यातायात का 87 % और माल यातायात का 65 % आवागमन सड़क मार्ग से होगा । आसानी से उपलब्धता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती यात्रा इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं । रेल और हवाई यातायात के लिए यह एक पूरक सेवा का कार्य करती है ।

यह मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त सड़क परिवहन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावलियों का संचालन किया जाता है जो मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीतिगत दस्तावेज हैं ।

- मोटरयान अधिनियम, 1988
- केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865

सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण में गिरावट और सुरक्षा पहलू चिंता का विषय बन गया है । चूंकि वाहन उत्सर्जन के कारण प्रदूषण होता है, कठोर उत्सर्जन मानक कोडीकृत किए गए हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है ।

भारत स्टेज-I उत्सर्जन मानक जो यूरो-I मानक के समान हैं, पूरे देश में लागू हैं । भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक जो यूरो-II मानक के समान हैं और जिन्हें वर्ष 2001-2002 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में लागू किया गया था, अब दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर 1.4.2003 से आगरा, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद/सिकंदराबद, कानपुर, पुणे और सूरत शहरों में भी सभी वाहनों के लिए लागू कर दिए गए हैं । ये उत्सर्जन मानक 5 दिसंबर, 2003 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी मोटर वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 2005 से संपूर्ण देश में भी लागू कर दिए गए हैं । 1.4.2005 को और इसके बाद विनिर्मित दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए अगली पीढ़ी के उत्सर्जन मानक 10.9.2003 को अधिसूचित कर दिए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने एक स्कीम तैयार की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रदूषण जांच उपस्करों की वास्तविक लागत की 75 % प्रतिपूर्ति के तौर पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

यह मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से वाहन प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनेक कार्य कर रहा है । इन कार्यों में सम्मेलन, कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, होर्डिंग लगाना, प्रचार सामग्री का मुद्रण तथा प्रिंट, श्रव्य एवं दृश्य-श्रव्य माध्यमों का इस्तेमाल भी शामिल है ।

केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में प्रतिवर्ष कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । इन कार्यक्रमों में राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों को परिवहन प्रबंधन व्यवस्था और पर्यावरण पहलूओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

केंद्रीय मोटरयान नियमावली में संशोधन

- मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली में कतिपय संशोधन किए हैं ।

देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने के लिए मानकीकृत प्रपत्र के बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 1.4.2005 को और उसके बाद विनिर्मित दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए अगली पीढ़ी के उत्सर्जन मानक अधिसूचित {दिनांक 10.9.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 720 (अ)} कर दिए गए हैं ।

- 1.6.2003 से ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानक - भारत स्टेज- II लागू हो गए हैं । अगली पीढ़ी के ट्रैक्टर उत्सर्जन मानक - भारत स्टेज- III मानक, जो 1.4.2005 से प्रभावी होंगे, भी अधिसूचित कर दिए गए हैं ।

- केंद्रीय मोटरयान (अगरतला और ढाका के बीच बस सेवा का विनियमन) नियमावली, 2002, दिनांक 13.10.2003 {दिनांक 13.10.2003 की अधिसूचना सं.का.आ.197 (अ)} से लागू हो गई है ।

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की परिसंपत्तियां और देयताएं उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के बीच बांट दी गई हैं {दिनांक 27.10.2003 की अधिसूचना सं. 1233 (अ)} ।

- बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम को 30 जून, 2004 से भंग करने के लिए एक अधिसूचना {दिनांक 18.12.2003 की अधिसूचना सं.का.आ.1437 (अ)} जारी कर दी गई है ।

- बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की परिसंपत्तियां और देयताएं बिहार और झारखंड राज्यों के बीच बांट दी गई हैं {दिनांक 14.1.2004 की अधिसूचना सं.का.आ.61 (अ)} ।

सड़क सुरक्षा

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम करने के लिए सड़क सुरक्षा नीतियां तैयार करने हेतु तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय में सितंबर, 1986 में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी । महत्वपूर्ण स्कीमों में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान आदि शामिल हैं ।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :-

- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की सातवीं बैठक 15 जनवरी, 2004 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । इस बैठक में परिवहन मंत्रियों, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों, ट्रांसपोर्टर संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञों ने भाग लिया था ।

इस बैठक में अनेक उपयोगी सुझाव और विचार सामने आए जिन पर कार्रवाई की जा रही है ।

- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया । इस अभियान में सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश के साथ कलैंडर का मुद्रण, सिनेमा स्लाइडों का प्रदर्शन, रेडियो झलकियों का प्रसारण, कंप्यूटरीकृत सजीव प्रदर्शन, आदि शामिल है । इसके अलावा, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सड़क सुरक्षा संबंधी टी.वी. झलकियां प्रसारित की जा रही हैं । आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में झलकियों का प्रसारण किया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक जागरूकता लाई जा सके । कलैंडर, पेम्फलेट, पोस्टर, स्टीकर आदि प्रचार सामग्री वितरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है ।

- सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है ।

- राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन निर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन निगमों आदि के सहयोग से 5 से 11 जनवरी, 2004 तक 15वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया । इस बार इसका प्रसंग था "अच्छी सड़कों का मतलब यह नहीं कि आप अपना जीवन नष्ट कर दें (ओवर स्पीडिंग से बचें)" ।

- असंगठित क्षेत्र में भारी वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 30,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है जब कि वर्ष 2002-03 में 21999 चालकों को प्रशिक्षण दिया गया था ।

- माडल ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है और असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे 4 स्कूलों पर कार्य शुरू कर दिया गया है ।

- राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जा रही हैं ताकि दुर्घटना स्थल को साफ किया जा सके और दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा केंद्र में ले जाया जा सके । वर्ष 2002-03 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को कुल 43 एंबुलेंस और 48 क्रेन प्रदान की गईं और वर्ष 2003-04 के दौरान 60 क्रेन और 61 एंबुलेंस स्वीकृत की गई हैं ।

- यूनाइटिड स्कूल्स ऑरगेनाइजेशन, नई दिल्ली के माध्यम से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता और वाहन प्रदूषण संबंधी अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई ।

- तीन वर्गों के लिए अर्थात् पर्वतीय वर्ग, शहरी वर्ग और नगरेतर वर्ग (दो पुरस्कार) में राज्य सड़क परिवहन निगमों को परिवहन मंत्री की ट्राफी प्रदान की जाती है । इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ट्राफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है । वर्ष 2002-03 के लिए नगरेतर वर्ग में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और शहरी वर्ग ट ा [illegible] लिए बंगलौर महानगर परिवहन निगम और पर्वतीय वर्ग के लिए हिमाचल राज्य सड़क परिवहन निगम विजेता रहे । उत्तर-दक्षिण कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को द्वितीय सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए नगरेतर वर्ग में 50,000/-रु0 का नकद पुरस्कार दिया गया ।

- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य के लिए गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाता है । गैर सरकारी संगठन वर्ग के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रु. से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और व्यक्तियों के वर्ग में यह राशि 25,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दी गई है । उपविजेता के लिए गैर सरकारी वर्ग के अंतर्गत 30,000 रु. और व्यक्ति वर्ग के अंतर्गत 15,000 रु. के नकद पुरस्कार की शुरूआत की गई है ।

पूर्वोत्तर राज्यों में पहल

जिन 86 गैर सरकारी संगठनों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम संपन्न करने के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है उनमें से 10 पूर्वोत्तर राज्यों के हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के तहत स्वीकृत 61 ऐंबुलेंस और 60 क्रेन में से 12 ऐंबुलेंस और 12 क्रेन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हैं ।

अध्याय - IV

अनुसंधान और विकास

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य बल एक टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण करना है जिसकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम अवसंरचना से की जा सके । इस नीति के विभिन्न घटकों में डिजाइन में सुधार, निर्माण तकनीक का आधुनिकीकरण, नवीनतम प्रचलन के अनुरूप परिष्कृत सामग्री का प्रयोग, बेहतर और उपयुक्त विशिष्टियों का विकास, विकास को प्रोत्साहित करना और नई प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग शामिल है । इनका प्रचार प्रसार नए दिशा निर्देशों, प्रथा संहिताओं, अनुदेशों/परिपत्रों, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन प्रकाशित करके तथा सेमिनार आयोजित करके/प्रस्तुतियों आदि के जरिए किया जाता है । मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीम सामान्यतः लागू की जाती है जिसके पूरे हो जाने पर प्रयोक्ता/एजेंसी/विभाग उसे अपने कार्य क्षेत्र में अपना सकेंगे । कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन तकनीक आदि आते हैं । स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, विश्व विद्यालयों की सहायता लेता है ।

2003-04 के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए 103 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है ।

2002-2003 के दौरान पूरी की गई अनुसंधान और विकास स्कीमें

सड़कें

- दर विश्लेषण के लिए स्टैण्डर्ड डाटा बुक को अद्यतन करना (1994)-(आर-83) ।
- आर-19 (चरण-II) (आर-77) के अंतर्गत नए पेवमेंट खंडों के पेवमेंट निष्पादन के अध्ययन के लिए रा.रा. 4 पर बंगलौर - पुणे खंड पर 30-34 कि.मी. के बीच प्रायोगिक खंडों का निर्माण ।

यातायात और परिवहन

- सुरक्षा संपरीक्षा पद्धति का विकास और मैनुअल तैयार करना - (टी - 4)
- राजमार्गों पर यातायात प्रशासन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना - (टी - 3)
- होर्डिंग संबंधी नीति तैयार करना - (टी - 2)

स्कीमें जो पूरी होने वाली हैं

सड़कें

- प्राथमिक, गौण और शहरी सड़कों के अनुरक्षण प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना- (आर - 82)

- फालिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करके पूर्वी भारत में पेवमेंटों का अवसंरचनात्मक मूल्यांकन - (आर - 81)

पुल

- देश में उपलब्ध सामग्री से बने पुलों और पेवमेंटों के लिए उच्च निपादन कंक्रीट के इस्तेमाल के लिए विशिष्टियों का मसौदा तैयार करना - (बी - 32)

चालू वर्ष में चल रही शेष स्कीमें

सड़कें

- विटुमनी ऊपरी परतों में परावर्ती दरार नियंत्रित करने के लिए आंतरिक परत के रूप में फैब्रिक सुदृढ़ीकरण करके भू सिन्थेटिक्स पेवमेंट का इस्तेमाल (आर - 63)

पुल

- केबिल आधारित पुल डेक की ऐरोडायनेमिक स्थिरता के लिए अध्ययन - (बी - 25)
- उच्च धारा त्वरण के अंतर्गत बाउल्ड्री बेडों में स्कोर डेप्थ का निर्धारण (जनरल बेड, चैनल कंट्रेक्शन और पुल पीयर्स) - (बी - 33)

विचाराधीन प्रस्ताव

सड़कें

- विभिन्न देशी कठोरता मापन उपस्करों का इस्तेमाल करके पेवमेंट कठोरता सूचकांक के मूल्यांकन का अध्ययन और उनमें सह संबंध का विकास ।

यातायात और परिवहन

- भारतीय यातायात परिस्थितियों के लिए उपयुक्त चमक रोधी स्क्रीन के लिए डिजाइन मानक तैयार करना ।
- भारतीय स्थितियों के अंतर्गत गोल चक्कर/चौराहे पर क्षमता वृद्धि सहित यातायात प्रचालन का अध्ययन ।
- सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूलता की दृष्टि से पैदल यात्री सुविधाओं के डिजाइन मानक ।

पुल

- भारतीय परिस्थितियों में विभिन्न ग्रेड के ढांचागत कंक्रीट में फ्लाई ऐश के अलग-अलग प्रतिशत के साथ मिश्रित पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट और सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के प्रयोग की व्यावहारिकता का अध्ययन तथा संबंधित दिशानिर्देश/विनिर्देश तैयार करना ।
- प्री-डोमिनेंटली क्लेई स्ट्रेटा में स्कोर का निर्धारण ।
- भारत की गंभीर पर्यावरण परिस्थितियों में टिकाऊपन की दृष्टि से कंक्रीट पर विभिन्न प्रकार की परतों का निष्पादन मूल्यांकन ।
- विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में पुलों के लिए रेट्रोफिटिंग के लिए दिशानिर्देशों का मूल्यांकन ।

- पुलों की अवशिष्ट क्षमता के आकलन के लिए स्टेटिक और डायनेमिक प्रतिक्रिया परीक्षण डाटा का प्रयोग करके क्षति अभिज्ञान विधि तैयार करना ।

परिवहन अनुसंधान

परिवहन अनुसंधान पक्ष नीति नियोजना, परिवहन विधि के कार्य निपाष्दन के समन्वय और मूल्यांकन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को अनुसंधान सामग्री, डाटा सहायता और विश्लेषण प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है । परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़कों, सड़क परिवहन, पत्तनों, नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्रों के संबंध में डाटा के संग्रहण, संकलन, वितरण और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है । डाटा अपेक्षाओं की पहचान करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह प्रभावी विश्लेषण के लिए डाटा बेस के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करता है । परिवहन क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान अध्ययन भी समय समय पर किए जाते हैं । फिलहाल सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्ययन किए जा रहे हैं ।

परिवहन अनुसंधान पक्ष केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न स्रोतों से डाटा एकत्रित करता है । प्राप्त सूचना की जांच की जाती है तथा निरंतरता और तुलनीयता के लिए उसे स्वीकार्य बनाया जाता है । संकलन के पश्चात परिवहन क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं को शामिल करते हुए तिमाही और वार्षिक प्रकाशन निकाले जाते हैं ।

वर्ष **2003-04** में परिवहन अनुसंधान पक्ष ने भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी- **2001-02** और राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा - **2002-03** के वार्षिक संस्करण प्रकाशित किए । भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी में देश में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या, उसके राज्यवार ब्योरे, प्रयोग में/सड़कों पर मोटर वाहनों की संख्या, निजी, माल और यात्री परिवहन वाहनों के मोटर वाहन कराधान दरें, राज्य सड़क परिवहन निगमों का भौतिक और वित्तीय निष्पादन, तथा सड़क दुर्घटना सांख्यिकी के आंकड़े हैं । 'भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी- **2002-03**' पर कार्य शुरू किया गया है ।

परिवहन अनुसंधान पक्ष 'इंप्लीमेंटेशन ऑफ एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस' से संबंधित परियोजना पर एशिया और पेसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य से भी जुड़ा हुआ है । इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस का विकास किया जा रहा है जिसमें प्रायोगिक परियोजना के तौर पर सॉफ्टवेयर का सहगामी विकास शामिल है । दुर्घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए तैयार किए गए ब्योरेवार फार्मेट के आधार पर वर्ष **2001** के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो गई है और **2002** के लिए डाटा संकलित किए जा रहे हैं । इस परियोजना के सफल परिणाम इस क्षेत्र के अन्य देशों में भी प्रतिध्वनित होंगे ।

अध्याय - V

सड़क विकास

यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है । राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं । राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास कार्यक्रम में सहायता करने के लिए तथा अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की कुछ चुनिंदा राज्यीय सड़कों के लिए भी केंद्र सरकार केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि प्रदान करती है । यह मंत्रालय सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा सड़कों और पुलों के लिए मानक व विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है ।

30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 58,112 कि.मी. है । राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की एक सूची परिशिष्ट - II में दी गई है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता की कमी, मार्ग की बाह्य सतह, ज्यामिती और सुरक्षा कारकों जैसी विभिन्न कमियां हैं । लगभग 18,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग एकल/मध्यवर्ती लेन के हैं जिन्हें 2 लेन का बनाया जाना आवश्यक है । वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से कमियों को दूर करने के लिए लगभग 1,65,000 करोड़ रु. की आवश्यकता का अनुमान है । उपलब्ध संसाधनों के अंदर वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा और सुदृढ़ करके, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करके और चुनिंदा आधार पर बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जा रहा है । यद्यपि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजट आबंटन उपलब्ध करा रही है और उच्च सघनता वाले मार्गों को उन्नत बनाने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए गए हैं, अन्य क्षेत्रों विशेषतः सामाजिक क्षेत्रों से संसाधनों की बढ़ती मांग से अपेक्षित धनराशि की उपलब्धता में बाधा आई है । अन्य स्रोतों से धनराशि जुटाकर वित्तीय बाधाएं दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है । निजी क्षेत्र की धनराशि से कुछ हद तक संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी ।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

वर्ष 2003-2004 के लिए राज्य सरकारों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1754 करोड़ रु. और अनुरक्षण के लिए 590.92 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, पुलों पर प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली से प्राप्त राजस्व से राज्यों को आबंटन किया गया है । वर्ष 2003-2004 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण संबंधी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन परिशिष्ट - III में दिया गया है ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए 2003-04 के केंद्रीय बजट में 1993 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 2003-04 में 93 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 30 नवम्बर, 2003 तक इसे सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित) पर 4915.03 करोड़ रु. खर्च किए ।

सड़क निर्माण में यंत्रीकरण और आधुनिक उपस्करों का प्रयोग

मंत्रालय ने सड़क निर्माण और अनुरक्षण कार्यों में आधुनिक और परिष्कृत मशीनें शामिल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं -

- पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरांचल को 2003-04 के दौरान ड्रम मिक्स प्लांटस, हाइड्रोस्टेटिक सेंसर पेवर फिनीशर डीजल जेनरेटर सेट्स, बुलडोजर, क्रेन, टेंडम वाइब्रेटरी रोड रोलर्स, एक्सकेवेटर-कम-लोडर, टिपर्स और स्टेटिक रोड रोलर्स प्रदान किए जा रहे हैं ।

- मंत्रालय द्वारा पुलों का उचित रखरखाव और संरक्षण तथा क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत में सहायता के लिए तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात को चल पुल निरीक्षण यूनिट (एम बी आई यू) प्रदान किए हैं ।

- वित्त मंत्रालय से परामर्श करके निजी ठेकेदारों, जिन्हें सड़क कार्य सौंपे गए हैं, द्वारा शुल्क मुक्त आयात के लिए 21 सड़क निर्माण मशीनों की पहचान की गई है ।

- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर कार्य करने वाले ठेकेदार बिटुमन और इस्पात आदि जैसे उपस्कर और सामग्री पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त कर रहे हैं ।

अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कें

मई, 1954 में शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य अंतर्राज्यीय सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा सड़कों/पुलों के निर्माण के माध्यम से राज्य सरकारों के आर्थिक विकास में उनकी सहायता करना है । तथापि, वित्तीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय ऋण सहायता से निर्माण कार्यों के संतुलित कार्य ही स्वीकृत किए गए । यह स्कीम केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है । इस स्कीम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजनाओं के लिए 100 % अनुदान और आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के लिए 50 % अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2003-2004 में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं । 30 नवम्बर, 2003 तक सड़क/पुल परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से 286 करोड़ रु. के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है ।

केंद्रीय सड़क निधि

सड़क अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु 1998 - 99 के केंद्रीय बजट में पेट्रोल पर 1 रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान किया था । 1999-2000 के केंद्रीय बजट में हाई स्पीड डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया । 2003-04 के केंद्रीय बजट में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त उपकर लगाया गया । उपकर से प्राप्त राजस्व केंद्रीय सड़क निधि में जाता है जिसे केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है ।

इस निधि से आबंटन निम्नलिखित रूप से किया जा रहा है -

- हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50 % ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ।
- हाई स्पीड डीजल पर उपकर का 50 % और पेट्रोल पर प्राप्त समग्र उपकर का आबंटन इस प्रकार किया जा रहा है ।
  - 57.5 % राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ।
  - 12.5 % पुलोपरि अथवा नीचे सड़कों के निर्माण तथा मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों के लिए ।
  - 30 % राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए । इसमें से 10 % केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आबंटन हेतु ।

वर्ष 2003-04 के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 5761.76 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसके ब्योरे निम्नलिखित हैं-

तालिका 5.1

केंद्रीय सड़क निधि से आबंटन

	(करोड़ रु.)
राज्यीय सड़कों के लिए अनुदान	875.60
अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	95
राज्यीय सड़कों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	35.16
अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	5
राष्ट्रीय राजमार्ग	1993
ग्रामीण सड़कें	2325
रेलवे	433
जोड़	5761.76

वर्ष 2003-04 के लिए 30 नवम्बर, 2003 तक केंद्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास हेतु 427.57 करोड़ रु. के कुल 214 कार्य स्वीकृत किए गए हैं ।

राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण

राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है । केंद्र और राज्य सरकारों के एक सहयोगी निकाय के तौर पर 1983 में स्थापित इस संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य प्रवेश स्तर पर और सेवा काल में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना है ।

इस संस्थान ने नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने के परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया है । इसके पास एक केंद्रीय वातानुकूलित ऑडीटोरियम, कान्फ्रेंस और सेमिनार हाल, लेक्चर हाल, एक पुस्तकालय, कम्प्यूटर केंद्र और प्रशिक्षु हॉस्टल है जिसमें भोजन और स्टाफ क्वार्टरों की सुविधा है ।

व्यापक कार्य

राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान के व्यापक कार्य इस प्रकार हैं :-

- मंत्रालय के नवनियुक्त इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना ।
- वरिष्ठ और मध्य स्तरीय इंजीनियरों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन ।
- वरिष्ठ स्तर के इंजीनियरों के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम ।
- स्वदेशी और विदेशी भागीदारों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास ।

राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से 30 नवम्बर, 2003 तक 361 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क विकास के कार्य में लगे 8359 राजमार्ग और पुल इंजीनियर और प्रशासक प्रशिक्षित किए हैं । ये प्रतिभागी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राज्य लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के संगठनों तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से आते हैं । विदेशी सरकारी विभागों के इंजीनियरों ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और सार्क तथा कोलंबो योजना कार्यक्रमों की तकनीकी सहयोग स्कीम में भाग लिया है । इसने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए लाभप्रद अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है ।

अध्याय - VI

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

यह मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है और इसके लिए कुल आबंटन का 10 % निर्धारित किया जाता है । सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6657 कि.मी. है और इनका विकास और अनुरक्षण तीन एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । 6657 कि.मी. की कुल लंबाई में से लगभग 3240 कि.मी. सीमा सड़क संगठन के पास है और 2689 कि.मी. संबंधित राज्य लो.नि. विभागों के पास है । असम में 728 कि.मी. की शेष लंबाई एन एच डी पी के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत आती है जिसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ।

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2003 को यह घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर में ऐसे सभी राज्यों की राजधानियों को चार लेन की सड़कों द्वारा एन एच डी पी नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा जो फिलहाल इससे जुड़ी हुई नहीं हैं ।

30.11.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 169 योजनागत कार्य (बी आर ओ कार्यों को छोड़कर) प्रगति पर थे । इसके अतिरिक्त केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 173.16 करोड़ रु. के 89 कार्य प्रगति पर हैं । इसके अलावा, केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 63.64 करोड़ रु. के राज्यीय सड़क सुधार कार्य चल रहे हैं ।

सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2689 कि.मी. लंबाई में से 1941 कि.मी. में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्योरे नीचे दिए गए हैं -

अरूणाचल प्रदेश

राज्य में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 52ए, 52 और 153,जिनकी कुल लंबाई 392 कि.मी. है । प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता अखिल भारत के 5.7 के औसत के मुकाबले में 35.35 है।

30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 4.36 करोड़ रु. के एक कार्य सहित 11.99 करोड़ रु. के 5 सुधार कार्य चल रहे हैं । इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 153 की कुल 32 कि.मी. लंबाई (केवल वही रा.रा. जो राज्य लोक निर्माण विभाग के पास है) में से 20 कि.मी.शामिल है ।

चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 3 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2003 तक व्यय 58 लाख रु. था ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 51.67 करोड़ रु. के 19 कार्य शुरू किए गए हैं । राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 42.50 करोड़ रु. में से 19.12 करोड़ रु. का उपयोग किया है । इससे 1.61 करोड़ रु. के 2 कार्य पूरे हो गए हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 13.58 करोड़ रु. का एक कार्य चल रहा है जिसके मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

असम

राज्य में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 31बी, 31सी, 31, 36, 37ए, 37, 38, 39, 44, 51, 52ए, 52बी, 52, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154, जिनकी कुल लंबाई 2836 कि.मी.है । प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 10.7 है ।

30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ा में स्वीकृत 71.03 करोड़ रु. के 22 कार्यों सहित 174.41 करोड़ रु. के 55 सुधार कार्य चल रहे हैं ।

चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 70 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2003 तक व्यय 56.71 करोड़ रु. था । अब तक कुल 1283 कि.मी. लंबाई (राज्य लोक निर्माण विभाग की अधिकारिता में) में से 757 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा सड़क गुणता कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है ।

असम-श्रीरामपुर में पश्चिम बंगाल सीमा से प्रारंभ होकर असम में गुवाहाटी, नागौन और सिलचर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें 31सी, 31, 37, 36 और 54 शामिल हैं, की 728 कि.मी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत आती है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्य सौंपने की प्रक्रिया में है और इन्हें 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 72.81 करोड़ रु. के 43 कार्य शुरू किए गए हैं । राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 59.65 करोड़ रु. में से 46.21 करोड़ रु. का उपयोग किया है । इससे 29.23 करोड़ रु. के 23 कार्य पूरे हो गए हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 10.37 करोड़ रु. के 3 कार्य चल रहे हैं जिनके अगस्त, 2004 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

मणिपुर

राज्य में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 39, 53 और 150, जिनकी कुल लंबाई 954 कि.मी. है । प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 39.8 है ।

30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 19.81 करोड़ रु. के 6 कार्यों सहित 81.13 करोड़ रु. के 27 सुधार कार्य चल रहे हैं ।

चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 15 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2003 तक व्यय 4.35 करोड़ रु. था । अब तक कुल 281 कि.मी. लंबाई में से 151 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक 17.98 करोड़ रु. के 8 कार्य शुरू किए गए हैं और 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 12.57 करोड़ रु. में से 6.32 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है ।

मेघालय

राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 40, 44, 51 और 62 जिनकी कुल लंबाई 717 कि.मी.है । प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 31.2 है ।

30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 24.91 करोड़ रु. के 16 कार्यों सहित 116.22 करोड़ रु. के 44 सुधार कार्य चल रहे हैं ।

रा.रा. विकास के लिए 24 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2003 तक व्यय 13.02 करोड़ रु. था । अब तक कुल 519 कि.मी. लंबाई में से 487 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक 26.80 करोड़ रु. के 15 कार्य शुरू किए गए हैं । राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 17.06 करोड़ रु. में से 13.71 करोड़ रु. का उपयोग किया है । इससे 6.18 करोड़ रु. के 4 कार्य पूरे हो गए हैं ।

मिजोरम

राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154 जिनकी कुल लंबाई 927 कि.मी.है । प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 103 है ।

30 नवम्बर, 2003 तक चालू वर्ष में स्वीकृत 36.57 करोड़ रु. के 8 कार्यों सहित 81.95 करोड़ रु. के 20 सुधार कार्य चल रहे हैं । कुल 328 कि.मी. लंबाई (राज्य लोक निर्माण विभाग की अधिकारिता में) में से 280 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा सुधार किया जा रहा है ।

चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 23 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2003 तक व्यय 7.8 करोड़ रु. था ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 20.01 करोड़ रु. के 23 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं और राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 11.56 करोड़ रु. में से 10.89 करोड़ रु. का उपयोग किया है । इससे 3.02 करोड़ रु. का एक कार्य पूरा हो गया है । केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 14.93 करोड़ रु. का एक अन्य कार्य चल रहा है जिसके मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

नगालैंड

राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 36, 39, 61 और 150 जिनकी कुल लंबाई 369 कि.मी.हौ प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 31.2 है ।

30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 22.12 करोड़ रु. के 9 कार्यों सहित 39.90 करोड़ रु. के 18 सुधार कार्य चल रहे हैं ।

चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 15 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2003 तक व्यय 5.92 करोड़ रु. था । अब तक कुल 246 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 14.48 करोड़ रु. के 7 कार्य शुरू किए गए हैं । राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 9.66 करोड़ रु. में से 7.17 करोड़ रु. का उपयोग किया है । इससे 4.72 करोड़ रु. के 3 कार्य पूरे हो गए हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 14.30 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के 2 कार्य चल रहे हैं जिनके मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

सिक्किम

राज्य में केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 31ए जिसकी लंबाई 62 कि.मी.है और इसे सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है । प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 9.80 है ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 6.69 करोड़ रु. के 10 कार्य शुरू किए गए हैं । राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 4.28 करोड़ रु. में से 2.28 करोड़ रु. का उपयोग किया है । इससे 1.91 करोड़ रु. के 8 कार्य पूरे हो गए हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 9.13 करोड़ रु. के 3 कार्य चल रहे हैं जिनके मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

त्रिपुरा

राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 44 और 44ए, जिनकी कुल लंबाई 400 कि.मी.है और इन्हें सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है । प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 12.5 है ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 9.39 करोड़ रु. के 5 कार्य शुरू किए गए हैं । राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 7.51 करोड़ रु. में से 5.28 करोड़ रु. का उपयोग किया है । केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 1.33 करोड़ रु. का एक कार्य चल रहा है जिसके मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

अध्याय - VII

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक , एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोओपरेशन की ऋण सहायता से अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है । ऋण की सहमत राशि क्रमशः 1345 मिलियन अमरीकी डालर , 985 मिलियन अमरीकी डालर और 32,060 मिलियन येन है ।

तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एल एन 4559 - इन) के लिए जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कुल 477 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाया जा रहा है, विश्व बैंक के साथ अगस्त, 2000 में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । इस ऋण की कुल राशि 516 मिलियन अमरीकी डालर है । इस परियोजना में पायलट रोड कॉरीडोर प्रबंधन और सड़क सुरक्षा कार्य और संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण शामिल है । सिविल कार्य सौंप दिए गए हैं और वे प्रगति पर हैं ।

ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना (जी टी आर आई पी)

जी टी आर आई पी के अंतर्गत 589 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ जुलाई, 2001 में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में 422 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाया जाना है । सिविल कार्यों के लिए ठेके दे दिए गए हैं और वे प्रगति पर हैं ।

सूरत-मनोर टालवे परियोजना

इस परियोजना के अंतर्गत सूरत-मनोर सड़क (263.4 कि.मी. से 439.0 कि.मी.) के मौजूदा दो लेन कैरिजवे खंड को चार लेन का विभाजित कैरिजवे बनाने की परिकल्पना की गई है । परियोजना की स्वीकृत लागत 867.00 करोड़ रु. है । इस परियोजना के प्रारंभ होने से वड़ोदरा से मुंबई तक रा.रा. 8 का निरंतर चार लेन खंड पूरा होगा, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है । अक्तूबर, 2000 में ए डी बी और एन एच ए आई के बीच 180 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं । यह सिविल कार्य 2000 में प्रारंभ हुआ था और इस परियोजना को जून, 2004 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

तुमकुर- हवेरी परियोजना

पश्चिमी परिवहन महामार्ग परियोजना के अंतर्गत रा.रा. 4 के 259 कि.मी. लंबे तुमकुर-हवेरी खंड को 4 लेन का विभाजित कैरिजवे बनाने के लिए 240 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के लिए ए डी बी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस परियोजना को पांच निर्माण पैकेज में विभाजित किया गया है । सभी पैकेजों पर कार्य 1 मार्च, 2002 से प्रारंभ हो गया है ।

पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना

गुजरात में पूर्व-पश्चिम महामार्ग के पोरबंदर से डीसा खंड के 506.60 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य 2573.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से प्रारंभ किया गया है । इसमें से ए डी बी वर्ष 2002 के लिए ऋण भाग के रूप में 1587 करोड़ रु0 (320 मिलियन अमरीकी डालर) का वित्तपोषण कर रहा है । यह ऋण ए डी बी द्वारा दिसंबर, 2002 में स्वीकृत किया गया था । इस परियोजना के जैतपुर से गोंडल खंड और राजकोट बाइपास को बी ओ टी आधार पर कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है । इस सड़क पर 24 बड़े पुल, 181 छोटे पुल, 9 रेल उपरि पुल और 1 रेल नीचे पुल है । सिविल ठेकों के मार्च, 2004 तक सौंपे दिए जाने का लक्ष्य है ।

नैनी पुल परियोजना

उत्तर प्रदेश में रा.रा. 27 पर नैनी में यमुना नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 10037 मिलियन जापानी येन के एक ऋण करार (आई डी पी-91) पर जे बी आई सी के साथ जनवरी, 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे । यह कार्य जुलाई, 2000 में सौंप दिया गया है । इस परियोजना पर अक्तूबर, 2000 में कार्य शुरू हुआ और 30 नवम्बर, 2003 तक 83 % निष्पादन प्रगति रही । इस परियोजना के मई, 2004 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

जगतपुर-चंडीखोल परियोजना

उड़ीसा में रा.रा. 5 के जगतपुर-चंडीखोल खंड को चार लेन का बनाने के लिए 5836 मिलियन जापानी येन के एक ऋण करार (आई डी पी-100) पर जे बी आई सी के साथ फरवरी, 1995 में हस्ताक्षर किए गए । इस परियोजना पर कार्य फरवरी, 2000 में शुरू हुआ और जून, 2003 में परियोजना पूरी हो गई । जनवरी, 2005 में ऋण बंद होगा ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, मलेशिया के बीच करार

आंध्र प्रदेश राज्य में रा.रा. 5 के टाडा-नेल्लौर खंड और रा.रा. 9 के विजयवाड़ा-नंदीगाम खंड में चार लेन बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मलेशिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 19 दिसम्बर, 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । परियोजना की लागत 760 करोड़ रु. है और इस परियोजना का विकास मलेशियाई निवेश से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण स्कीम के तहत किया जा रहा है । सी आई डी बी को अपने निवेश की वसूली के लिए पथकर के संग्रहण का अधिकार होगा । एन एच ए आई 167.5 करोड़ रु. का अनुदान देगा । एन एच ए आई और सी आई डी बी के बीच रियायत करार पर 27 मार्च, 2001 को हस्ताक्षर किए गए । दोनों खंडों पर कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है ।

पश्चिम बंगाल महामार्ग विकास परियोजना

एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के साथ 1085.7 करोड़ रु. की लागत की यह परियोजना पश्चिम बंगाल में बारासत (31 कि.मी.) से रायगंज (398 कि.मी.) तक रा.रा. 34 महामार्ग के विकास के लिए है । इस परियोजना का वित्त पोषण तीन स्रोतों से किया जाएगा अर्थात् एशियाई विकास बैंक ऋण (698.89 करोड़ रु.), भारत सरकार द्वारा पूरक वित्त पोषण (329 करोड़ रु.) और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरक वित्त पोषण (57.81 करोड़ रु.) । 197-298 कि.मी. खंड के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति और सिविल कार्यों के लिए ठेकेदार के चयन का कार्य उन्नत अवस्था में है । इस परियोजना को जून, 2007 में पूरा किया जाना है ।

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

सरकार की 12 महापत्तनों के लिए उन्नत सड़क सुविधा का विकास करने और उपलब्ध कराने की योजना है । पत्तन संपर्क परियोजना के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 390 कि.मी. है और सिविल कार्य की लागत 1685 करोड़ रु. है ।

बाद में, एन एच ए आई द्वारा किए गए प्राथमिक अध्ययन से पता लगा कि मुंबई और कोलकाता पत्तन को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन/सुधार की कम संभावना है क्योंकि ये पत्तन महानगर के भीड़ वाले क्षेत्रों में स्थिति हैं । इस तरह, फिलहाल ये दो परियोजनाएं कार्य योजना में शामिल नहीं की गई हैं ।

एन एच ए आई की इक्विटी के साथ विशेष प्रयोजन तंत्र (एस पी वी) की स्थापना करके पत्तन संपर्क परियोजनाएं विकसित करने का प्रस्ताव है । एस पी वी इन पत्तन संपर्क परियोजनाओं को वाणिज्यिक विधि से विकसित करेगा और वे परियोजना के लिए रियायतग्राही होंगे । संबंधित पत्तन न्यासों से भी इक्विटी और/अथवा उप-ऋण का अंशदान करके परियोजनाओं में भाग लेने का अनुरोध किया जा रहा है । इसी प्रकार अन्य स्थानीय लाभार्थी जैसे विकास प्राधिकरण, नगर निगम आदि से भी अनुरोध किया गया है कि वे इक्विटी और/अथवा उप-ऋण के रूप में परियोजना में अंशदान करें । शेष धनराशि ऋण के रूप में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि से जुटाई जाएगी । एस पी वी इन विकसित खंडों पर कर संग्रहण करेगा और ऋण/उप-ऋण वापस करेगा ।

कांडला पत्तन संपर्क सड़क के विकास का कार्य पूरा हो चुका है । मुरगांव, जवाहर लाल नेहरू पत्तन पेकेज-। (रा.रा. 4 बी और रा.रा. 4), विशाखापत्तनम और हल्दिया पत्तन की संपर्क सड़क के विकास का कार्य प्रगति पर है । कोचीन पत्तन संपर्क सड़क परियोजना के सिविल कार्यों के ठेके, चेन्नै, तूतीकोरिन और पारादीप में समुद्र संरक्षण कार्य के ठेके सौंप दिए गए हैं । जवाहर लाल नेहरू पत्तन - पैकेज -।। (राज्यीय राजमार्ग -54, आमरा मार्ग और पनवेल क्रीक पुल) और नव मंगलूर पत्तन के लिए सिविल कार्य ठेकों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं ।

CHAPTER VIII

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण निष्पादन बल है जो आंशिक रूप से स्वयं और आंशिक रूप से सेना की सहायता से यह कार्य करता है । इसने दो परियोजनाओं-पूर्व में परियोजना 'टस्कर' (जिसका नाम बदल कर परियोजना 'वरतक' रख दिया गया था) और पश्चिम में परियोजना 'बेकॉन' के साथ मई, 1960 में शुरूआत की थी । यह आज बढ़कर 13 परियोजनाओं का कार्यपालक बल हो गया है और इसकी सहायता के लिए एक पूर्ण रूप से संगठित भर्ती प्रशिक्षण केंद्र है, संयंत्र/उपस्कर मरम्मत के लिए दो पूर्ण रूप से सुसज्जित बेस कार्यशालाएं है तथा वस्तु सूची प्रबंधन के लिए दो इंजीनियर भंडार डिपो हैं ।

इसने न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को शेष देश के साथ जोड़ा है बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का विकास भी किया है ।

सीमा सड़क संगठन के कार्य

सीमा सड़क संगठन की संकल्पना रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सामन्य स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए की गई थी । सामान्य स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सीमा सड़क विकास बोर्ड को उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है ।

जी एस सड़कों के अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्य भी करता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्ध-सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए कार्य शेष कार्यों के रूप में निष्पादित किए जाते हैं । पिछले कुछ वर्षों से सीमा सड़क संगठन हवाई क्षेत्र, स्थायी इस्पात और पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट पुलों, आवास परियोजनाओं के निर्माण के क्षेत्र में भी आ गया है ।

राष्ट्रीय संकट और युद्ध शुरू होने की स्थिति में सीमा सड़क संगठन की प्रचालनात्मक भूमिका हो जाती है क्योंकि तब सीमा सड़क संगठन अग्रिम क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव में सेना को सीधे तौर पर सहायता प्रदान करता है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्य निष्पादित करता है । बी आर ओ परिचालन के दौरान वायु सेना के अग्रिम विमान क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए कार्यबल भी उपलब्ध कराता है। सीमा सड़क संगठन पश्चिम सेक्टर में सेना की सहायता में ' ऑपरेशन पराक्रम' के दौरान सक्रिय रूप से शामिल था ।

सीमा सड़क संगठन ने भूटान में एक विस्तृत सड़क नेटवर्क का निर्माण किया है ।

संगठन

महानिदेशक, सीमा सड़क (डी जी बी आर) इसके कार्यपालक प्रमुख हैं । मुख्य इंजीनियर (परियोजना) के जरिए सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए यह निष्पादन-कार्यबल के रूप में सामान्य आरक्षी इंजीनियर बल (जी आर ई एफ) उपलब्ध करवाता है । कार्यपालक निकाय के रूप में मुख्यालय डी जी बी आर, सीमा सड़क विकास बोर्ड, बी आर डी बी को तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक अवसंरचना उपलब्ध कराता है । बी आर डी बी एक अंतर-मंत्रालयी निकाय है जिसे बी आर ओ के साथ मार्च, 1960 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा राज्यों में सड़क संचार के विकास की देखरेख के लिए स्थापित किया गया था ।

1985 में बी आर डी बी का पुनर्गठन किया गया था और रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । फिलहाल राज्य रक्षा मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं । बी आर डी बी का संगठनात्मक चार्ट और इसके कार्यों से संबंधित ब्योरे परिशिष्ट - IV में दिए गए हैं ।

सीमा सड़क महानिदेशक सभी सामान्य स्टाफ सड़कों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है । यह श्रेणी -9 सड़कों के लिए विनिर्देश तथा गुणता नियंत्रण , पेवमेंट डिजाइन , पुल डिजाइन , संरक्षण दीवार, सामग्री खरीद और बजट नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तृत तकनीकी निर्देश जारी करता है । नवीनतम तकनीकी विकास ,उपस्करों के आधुनिकीकरण आदि के लिए समय-समय पर विनिर्देशों की समीक्षा की जाती है । एजेंसी कार्यों के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा दिए गए तकनीकी विनिर्देशों का पालन किया जाता है किंतु तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण सीमा सड़क महानिदेशक के पास होता है । सीमा सड़क महानिदेशालय, के मुख्यालय का संगठन ढांचा और इसके कार्यों से संबंधित ब्योरे परिशिष्ट - V में दिए गए हैं ।

सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां

31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

तालिका 8.1

सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां

मद	संचित उपलब्धि
सड़क निर्माण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	30,993 कि.मी.
सतह निर्माण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	37,056 कि.मी.
स्थायी कार्य	3068 करोड़ रु0
स्थायी पुल	19044 मीटर

2002-2003 में सीमा सड़क संगठन ने समतुल्य श्रेणी-9 के 875 कि.मी. में सड़क निर्माण कटिंग, समतुल्य श्रेणी-9 के 1479 कि.मी. में सतह निर्माण और समतुल्य श्रेणी-9 के 2223 कि.मी. में पुनः सतह निर्माण कार्य पूरा किया । स्थायी पुल निर्माण, जिसमें इस्पात और पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट दोनों शामिल हैं, 1040 मीटर है । वर्ष 2002-03 में 15 स्थायी पुल पूरे किए गए । वतर्मान में संगठन 113 बड़े स्थायी पुलों के निर्माण में लगा हुआ है और ये अधिकतर पुल सीमावर्ती राज्यों में स्थित हैं ।

सीमा सड़क संगठन का वर्ष 2003-2004 के लिए वित्तीय कार्यभार (जी एस कार्यों के लिए 875 करोड़ रु. और एजेंसी कार्य/जमा कार्यों के लिए 472.11 करोड़ रु0) 1347.11 करोड़ रु. है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- 1000 करोड़ रु0 से अधिक की अनुमानित लागत से 9 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी. लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य संगठन को सौंपा गया था। इस परियोजना पर 26 मई, 2002 को कार्य शुरू हुआ और इसे सन् 2011 तक पूरा किया जाना है।

- सीमा सड़क संगठन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर - दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर पठानकोट से जम्मू (राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए) तक 17.20 कि.मी. लंबे चार लेन के एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 83.88 करोड़ रु0 है और इसे 36 माह में पूरा किया जाना है। इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है।

- अरूणाचल प्रदेश में रा.रा. 52 पर 637.60 मीटर लंबे नाओधिंग पुल का निर्माण पूरा किया गया है। यह पुल संगठन द्वारा अब तक बनाए गए पुलों में सर्वाधिक लंबा है।

- पंजाब में जनरल स्टाफ आवश्यकता के तौर पर 137 कि.मी. लंबी सड़कों और 25 स्थायी पुलों का निर्माण।

- थोइस में एम आई 17 हेलीकॉप्टर के लिए 68 x 28 मीटर इंसूलेटिड हैंगर , थोइस विमान पट्टी की पुनः सतह बनाने और ओ आर ए का 285 मीटर विस्तार का कार्य।

- संगठन द्वारा म्यांमार में निर्मित 160 कि.मी. लंबी प्रतिष्ठित तामू - कालीम्यो - कलेवा सड़क का अनुरक्षण कार्य 6 वर्ष की अवधि के लिए सौंपा गया है ।

- विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर ईरान /अफगानिस्तान सीमाओं पर सड़कों /पुलों की टोह/सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाना ।

- योजना आयोग के अनुरोध पर त्रिपुरा, असम, मणिपुर और नगालैंड के कुछ पिछड़े जिलों में पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधनों के गैर-व्यपगत पूल से समर्पित बजट सहायता से सड़क निर्माण परियोजनाएं ।

- पोर्ट ब्लेयर में सीजीडीए के अतिथि गृह का निर्माण पूरा करना ।

- अरूणाचल प्रदेश में 15 मीटर गहरे गार्ज में हु ब्रिज निर्माण के लिए पुल इंजीनियरी संस्थान द्वारा संगठन को पुरस्कार दिया गया ।

- संगठन के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए 9 संयंत्र/उपस्करों के लिए प्रयोक्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरा करना ।

- आर सी सी के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी के स्तर को उन्नत बनाने तथा डीजीबीआर मुख्यालय और 13 मुख्यालय सीई परियोजनाओं में एलएएन की स्थापना करके सब यूनिट स्तर पर सहायता करना ।

वर्ष 2003-2004 के लिए नियोजित उपलब्धियां

सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है -

तालिका 8.2

वर्ष 2003-2004 के लिए नियोजित लक्ष्य

मद	सीमा सड़क संगठन द्वारा नियोजित लक्ष्य		
	जी एस	एजेंसी/जमा	योग
सड़क निर्माण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	517.00	404.00	921.00
समतलीकरण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	804.00	1258.00	2062.00
पुनर्समतलीकरण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	2043.00	44.00	2087.00
स्थायी कार्य (करोड़ रुपये)	212.72	312.61	525.33
बड़े पुल (मीटर)	664.00	735.00	1399.00

महत्वपूर्ण चालू कार्य

जनरल स्टाफ कार्य

सीमा सड़क संगठन उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम में फैले 11 सीमावर्ती राज्यों में सेना मुख्यालय के जनरल स्टाफ के लिए सड़कों का निर्माण/विकास और रखरखाव कर रहा है । सीमा सड़क संगठन 547 जनरल स्टाफ सड़कों का निर्माण/रखरखाव कर रहा है । इन सड़कों की कुल लंबाई 20632 कि.मी. है । इनमें उत्तरी और पश्चिम क्षेत्र में 11,713 कि.मी. लंबी सड़कें और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8919 कि.मी. लंबी सड़कें शामिल हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग/बाइपास

सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और बाइपासों की सूची परिशिष्ट - VI में दी गई है

एजेंसी कार्य

पूर्वोत्तर परिषद की सड़कें

सीमा सड़क संगठन सन् 1980-81 से ही पूर्वोत्तर के एकीकृत विकास में पूर्वोत्तर परिषद से जुड़ा हुआ है जब कुल 2971 कि.मी. लंबी 30 सड़कें सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई थी । बाद में इसकी लंबाई बढ़ाकर 3357 कि.मी. कर दी गई । सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित पूर्वोत्तर परिषद सड़कों पर संचित उपलब्धि इस प्रकार है -

निर्माण	-	3127 कि.मी. (लगभग)
सतह बनाना	-	2734 कि.मी. (लगभग)
स्थायी कार्य	-	167 करोड़ रु. (लगभग)

सीमा सड़क संगठन के पास पूर्वोत्तर परिषद की सड़कों के लिए इस वित्त वर्ष में 14.64 करोड़ रु. का बजट है जिसमें अनुरक्षण भी शामिल है ।

भारत-बंगलादेश सीमा सड़कें

1987 में त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में भारत-बंगलादेश सीमा सड़कों का निर्माण कार्य तथा मेघालय में बाड़ के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था । इस कार्यक्रम के चरण-I में सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए मेघालय में 198 कि.मी. बाड़ निर्माण कार्य और सभी तीनों राज्यों में 841 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है । अब केवल त्रिपुरा में शेष 69 कि.मी. लंबी सड़कों को मार्च, 2004 तक पूरा किए जाने की संभावना है ।

त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में 1,337 कि.मी. लंबी अतिरिक्त सड़क और बाड़ निर्माण का कार्य भारत-बंगलादेश सीमा कार्यक्रम के चरण-II के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था तथा इसे वर्ष 2006 तक पूरा किया जाना था । तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/उन्नयन तथा महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के कारण सीमा सड़क संगठन ने भारत-बंगलादेश सीमा चरण-II के संपूर्ण कार्यक्रम को निष्पादित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है । गृह मंत्रालय ने प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित की हैं और 288.42 कि.मी. के निम्नलिखित कार्यों (तालिका 8.3) का चयन किया गया है

तालिका 8.3

भारत-बंगलादेश सीमा कार्यक्रम के चरण-II के लिए चुने गए कार्य

राज्य	इकाई	सड़कें	बाड़
त्रिपुरा	कि.मी.	-	107.17
मिजोरम	कि.मी.	98.70	86.00
मेघालय	कि.मी.	95.25	95.25
जोड़	कि.मी.	193.95	288.42

अन्य महत्वपूर्ण एजेंसी कार्य

- हीरक परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में गदचिरोली और भंडारा के नक्सली प्रभावित जिलों में 842 कि.मी. लंबे सड़क नेटवर्क का निर्माण प्रगति की उन्नत अवस्था में है ।

- सीमा सड़क संगठन 'दंतक परियोजना' के जरिए एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण कर रहा है तथा विदेश मंत्रालय की ओर से भूटान में अन्य परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है । इसमें ताला हाइडल परियोजना के लिए चालू सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं । इस समय ह्यूनशोलिंग और गेडु के बीच 45 कि.मी. लंबे खंड का ताला हाइडल परियोजना के वित्तपोषण के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है ।

- भादरवाह में सेना छावनी के लिए महत्वपूर्ण स्थान योजना हेतु आंतरिक एवं बाह्य पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य दिसंबर, 1998 में रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था जो बेकन परियोजना के तहत निष्पादित किया जा रहा है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 36.00 करोड़ रु. है और इसे वर्ष 2003-04 में पूरा करना निर्धारित किया गया है ।

- योजना आयोग द्वारा नगालैंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 8.4 में दी गई है ।

तालिका 8.4

पूर्वोत्तर में प्रदाता द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति

राज्य	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)
नगालैंड	मोन जिले में मोकोचुंग-दिकचुचेर सड़क सड़क का निर्माण	18.65	8.70
	मोकोचुंग-दिकचुचेर सड़क पर हैमिल्टन पुल का प्रतिस्थापन (स्थायी पुल का निर्माण)	50.00 मी.	1.60
	मोन जिले और त्येनसांग जिले में सड़कों का निर्माण		
	क - मोन नामटोला	44.20	9.58
	ख - लंपोंग-सिन्हा-चांगन्यू-पामचिंग	45.00	8.78
	ग - तंग जंक्शन - चेनमोह	27.30	15.54
	घ - मोन जिले में आर एस टी सी		0.25
	ङ - खिपरे -पुंगरो	46.60	29.00
	च - खिपरे -अमहतोर-लुखामी	36.00	16.27
		106.00	29.97
	मोन जिले में गांवों के चेन समूह में सड़कें (3)		
	क - एबॉय-तोहक	14.00	6.53
	ख - तोहक-चिंकाहो-वांगती	31.00	9.89
	ग - तोहक - चेन मुख्यालय-चेनलेसो -वांगती	49.00	12.20
असम	असम निम्नलिखित जिलों में बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्र के लिए 344.01 कि.मी. सड़कों का विकास और 76 अस्थायी पुलों का प्रतिस्थापनः-	344.04	101.19
	क - दारंग जिला (13)		
	ख - बारपेटा जिला (1)		
	ग - नलबाड़ी जिला (6)		
मणिपुर	सेनापाती-खानसोन-लखामी-फाइबंग	90.00	83.74
त्रिपुरा	हलाहले-अम्बासा-डंगाबाड़ी-अमरपुर-बगफा-बलोनिया	173.00	139.02
	जोड़	918.79	442.29

जमा कार्य

सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किए गए जमा कार्यों में सी जी डी ए के लिए पोर्ट ब्लेयर में, असम राइफल्स के लिए कैथलमनबी, मणिपुर में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान के लिए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में भवन परिसर और आवास, अनेक सीमावर्ती राज्यों में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए छः विद्यालय परिसरों, मिजोरम में सीमावर्ती कस्बे जोखाथवर में सीमा शुल्क परिसर, तेजपुर (असम) में तेजपुर विश्वविद्यालय परिसर और थाइस एयरफील्ड में एक हेलीकॉप्टर हेंगर परिसर आदि का निर्माण शामिल है । अरुणाचल प्रदेश में काइमंग हाइडल परियोजना, हिमाचल प्रदेश में कोल बांध और टिहरी बांध परियोजनाओं और भूटान में ताला हाइडल परियोजना के लिए कतिपय महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है । सीमा सड़क संगठन द्वारा गुवाहाटी में आई आई टी परिसर के लिए आंतरिक सड़क अवसंरचना का निर्माण भी किया जा रहा है ।

बर्फ हटाना

थल सेना की प्रचालन तथा रसद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और पूरे वर्ष लोगों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुल 2618 कि.मी. लंबी 64 सड़कों पर बर्फ हटाने का कार्य किया जाता है । सीमा सड़क संगठन द्वारा 11578 फुट ऊंचे जोजिला दर्रे पर श्रीनगर-लेह सड़क, 13044 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रे से 17582 फुट ऊंचे तंगलंगला दर्रे तक चार दर्रों पर मनाली-सार्चु-लेह सड़क तथा अरुणाचल प्रदेश में 14000 फुट ऊंचे सेला दर्रे के पार तेजपुर-तेंगा-तावंग सड़क को खोला गया । श्रीनगर-जोजिला-लेह सड़क को 15 मई, 2003 को और मनाली-सार्चु-लेह सड़क को जुलाई के प्रथम सप्ताह के सामान्य समय से पहले 28 मई, 2003 को यातायात के लिए खोल दिया गया । इन दो मार्गों को 31 अक्तूबर, 2003 तक खुला रखा गया ।

सम्मान और पुरस्कार

2002-03 में सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों को सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 205 पदक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए जो निम्न प्रकार हैं । इन पदकों का ब्योरा इस प्रकार हैः-

26 जनवरी, 2003	
परम विशिष्ट सेवा पदक	1
शौर्य चक्र 1	
विशिष्ट सेवा पदक	3
जीवन रक्षा पदक	2
सरकारी प्रशस्ति पत्र	57
थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	10
डी जी बी आर प्रशस्ति पत्र	97
उप थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	9
15 अगस्त, 2003	
शौर्य चक्र	3
सेना पदक	2
थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	8
उप थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	12
जोड़	205

बैठकें और सम्मेलन

सीमा सड़क विकास बोर्ड की बैठकें

तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात् रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 23 सितम्बर, 2003 को सीमा सड़क विकास बोर्ड की बैठक हुई ।

मुख्य इंजीनियर सम्मेलन

सीमा सड़क संगठन के सभी मुख्य इंजीनियरों का वार्षिक सम्मेलन डी जी बी आर के मुख्यालय में 17-21 नवम्बर, 2002 तक आयोजित किया गया ।

राष्ट्रीय सेमिनार

भूस्खलन और हिमधाव पर विशेष बल देते हुए 29 अक्तूबर, 2003 को आपदा प्रबंधन विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई । देश भर के और सभी विभागों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया । स्मारिका के रूप में भूस्खलन पर 17 और हिमधाव पर सात तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित किए गए । एक वेबसाइट (lhp/in.geocites. com.bro. seminar) का भी सृजन किया गया जिसे 75 से अधिक व्यक्तियों ने देखा । वेबसाइट के माध्यम से चार लेख प्राप्त हुए ।

प्रकाशन

2003-2004 के दौरान सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले -

- *रिफ्लेक्शंस -*
  7 मई, 2003 को सीमा सड़क संगठन के 43वें स्थापना दिवस पर वार्षिक प्रकाशन 'रिफ्लेक्शंस' के वॉल्यूम XV का विमोचन किया गया । इस प्रकाशन में सीमा सड़क संगठन के कार्यों का सारांश होता है और इसके जरिए सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों को व्यावसायिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर अपनी परियोजनाओं की उपलब्धियों के प्रसार का अवसर भी मिलता है ।

- *ऊंची सड़कें -*
  इस वार्षिक प्रकाशन के वॉल्यूम XIV का 20 नवम्बर, 2003 को विमोचन किया गया । इसके अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के कार्यपालकों द्वारा कार्य के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर तैयार किए गए प्रासंगिक लेख और तकनीकी पेपर प्रकाशित किए जाते हैं ।

- *तकनीकी निर्देश -*
  सीमा सड़क संगठन द्वारा अनुपालन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए समय समय पर तकनीकी ब्योरों का प्रचार-प्रसार करने के लिए तकनीकी निर्देश जारी किए जाते हैं । अब तक 23 तकनीकी निर्देश जारी किए गए हैं । अभी हाल में तकनीकी निर्देश 10 (संशोधन), तकनीकी निर्देश 21 और तकनीकी निर्देश 23 (हिंदी रूपांतर) जारी किए गए हैं ।

अध्याय - IX

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अधिनियम/नियम/वार्षिक कार्यक्रम

सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिंदी अनुभाग का गठन किया गया है। यह अनुभाग, मुख्य इंजीनियर (योजना) के समग्र प्रभार और सहायक निदेशक (राजभाषा) के पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। अधिनियम/नियमों में दिए गए सभी संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश/अनुदेश मंत्रालय के सभी अधिकारियों, अनुभागों और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 का अनुपालन

राजभाषा नियमावली के नियम 5 का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं।

हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण में प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के अप्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण के लिए नामित करके उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मैनुअल/कोड/प्रक्रिया-साहित्य का अनुवाद

मैनुअल/कोड/प्रक्रिया-साहित्य का अनुवाद कार्य पूरा हो चुका है।

राजभाषा से संबंधित बैठकों/निरीक्षणों का आयोजन

राजभाषा विभाग और संसदीय राजभाषा समिति, मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से

बैठकें बुलाई जाती हैं । मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की एक बैठक माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में हुई । इस बैठक में, माननीय सदस्यों ने मंत्रालय के दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए ।

हिंदी पखवाड़े तथा हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

इस मंत्रालय में 1.9.2003 से 15.9.2003 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता तथा एक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । मंत्रालय के कर्मचारियों ने सभी प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से भाग लिया और इनमें से अनेक कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते ।

15.9.2003 को हिंदी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री का संदेश पढ़ा गया ।

प्रोत्साहन योजनाएं

हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में प्रोत्साहन स्कीमें चालू की गई हैं । ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्होंने हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन स्कीम में भाग लिया, नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ।

हिंदी पुस्तकों की खरीद

एक लाख रुपए मूल्य की हिंदी की पुस्तकें खरीदी जा रही हैं ।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में राजभाषा के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है । इस उद्देश्य से उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उपचारात्मक सुझाव दिए जाते हैं । हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रमों से संबंधित रिपोर्टों का अध्ययन किया जाता है । वर्ष के दौरान मंत्रालय के सभी अनुभागों/डेस्कों का निरीक्षण किया गया है ।

अध्याय - X

प्रशासन एवं वित्त

मंत्रालय के प्रशासनिक पक्ष में 2 स्थापना अनुभाग, एक सामान्य एवं एक रोकड़ अनुभाग है । प्रशासनिक पक्ष मंत्रालय को स्थापना और अवसंरचना सहायता प्रदान करता है । एक स्थापना अनुभाग, केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के संवर्ग प्रबंधन तथा इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समेन, और अन्य अधीनस्थ स्टाफ के समूह 'ख' और 'ग' के तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्ग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है । दूसरा स्थापना अनुभाग मंत्रालय में तकनीकी संवर्ग से भिन्न कार्मिकों का प्रशासन देखता है ।

विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन डी.ओ.पी.टी.,संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है । मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के प्रयास किए जाते हैं । सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट- VII में दिया गया है ।

वित्त

अपर सचिव व वित्त सलाहकार, वित्त पक्ष के प्रमुख हैं । उनके काम में एक निदेशक (वित्त) और एक सहायक वित्त सलाहकार मदद करते हैं ।

समन्वित वित्त सलाहकार स्कीम के अनुसार, वित्त सलाहकार प्रशासनिक विभाग को इसके कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देता है और मंत्रालय को योजना, कार्यक्रम निर्धारण, बजट बनाने और निगरानी तथा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भी मदद देते हैं । वित्त सलाहकार के काम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं -

- विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी संसदीय समिति को और बजट मामलों पर वित्त मंत्रालय को जानकारी सुलभ कराना ।

- जिन परियोजनाओं पर लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के स्तर पर निर्णय लिया जाना है उनके संबंध में बोर्ड की बैठक से पूर्व होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना ।

- व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा व्यय वित्त समिति प्रस्तावों के लिए सचिवालयी सहायता सुलभ करना जिसकी अध्यक्षता सचिव (व्यय) करते हैं।
- मंत्रालय की प्रत्यायोजित शक्तियों की परिधि में इसके विभिन्न प्रशासनिक पक्षों से प्राप्त प्रस्तावों और स्कीमों के लिए वित्तीय सलाह देना और उन्हें सहमति प्रदान करना।
- पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजना तैयार करने में आवश्यक मदद देना।
- इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजट संसाधनों का आकलन करना।
- विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के बजट प्रस्तावों की जांच करना तथा उनकी विधीक्षा करना।
- जीरो आधारित बजट विधि के आधार पर योजनाओं/स्कीमों की समीक्षा करना ताकि उनमें व्यय इष्टतम और सीमित हो।
- परियोजनाओं तथा पहले से जारी स्कीमों की प्रगति/निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना, मितव्ययिता के उपाय करना तथा प्रस्तावों की वित्तीय व्यावहारिकता का मूल्यांकन करना।
- लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट/समीक्षा तथा ड्राफ्ट ऑडिट पैरा के निपटान पर नजर रखना। लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विनियोजन लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करना।

वित्त संबंधी सलाह देने के अलावा वित्त सलाहकार, मंत्रालय के बजट तथा लेखों का भी प्रभारी है। उसके दायित्वों में यह भी शामिल है कि -

- वह यह सुनिश्चित करे कि इस मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने का काम समय से चले तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही बजट तैयार हो।
- बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी जांच करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखे सामान्य वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जा रहे हैं।
- स्वीकृत अनुदान के मुकाबले में खर्चों की समीक्षा करते रहना और उन पर कड़ी नजर रखना।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अपर सचिव व वित्त सलाहकार के प्रभार में एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ (पी.एम.सी.) की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख कार्य विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं समेत सभी परियोजनाओं पर निगरानी रखना है। यह प्रकोष्ठ उस स्थायी समिति के सचिवालय के तौर पर भी काम करता है जो लागत और समय में वृद्धि के कारणों पर विचार करने के लिए गठित की गई है और इस पर पी.आई.बी./मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। स्थायी समिति में योजना आयोग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा के प्रतिनिधि होते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना व्यवस्था

मंत्रालय ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और प्रबंधन में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना व्यवस्था शुरू की है । राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यय और लेखा प्रक्रिया को सुचारू बनाना है । वेब आधारित प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी प्रभाग तथा सही समय पर जानकारी प्राप्त करने में अन्य व्यक्तियों की भी मदद करेगी जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का बेहतर वित्तीय प्रबंधन होगा । राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना व्यवस्था का आशय है :-

- विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चालू कार्यों की अद्यतन निर्देशिका की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- बजट नियंत्रण अर्थात् समग्र आधार और कार्य दर कार्य आधार पर बजट प्रावधान के मुकाबले में किए गए व्यय की सूचना यथा समय प्रदान करना ।
- लोक निर्माण विभाग प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों, मुख्य लेखा नियंत्रक और इस मंत्रालय के सड़क महानिदेशक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ।
- एक ऐसी वित्त प्रबंधन सूचना व्यवस्था की शुरूआत जिससे रिपोर्ट भेजने में होने वाले किसी विलंब में कमी आए ।
- बिलों और भुगतान के बारे में यथासमय सूचना प्रदान करना ।
- संशोधित आबंटन के मामले पर शीघ्र कार्रवाई तथा परिणामस्वरूप वित्त वर्ष में अधिकतम कार्यों का निष्पादन आसान बनाना ।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना ।
- इस व्यवस्था को लोक निर्माण प्रभागों जो परियोजनाएं निष्पादित करते हैं, के स्तर तक ले जाने के लिए संभावना की तलाश करना ।

अध्याय - XI

सतर्कता

मंत्रालय का सर्तकता अनुभाग मंत्रालय के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है । संयुक्त सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी इसके प्रमुख हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की जाती है । मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसका एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है ।

वर्ष 2003-04 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई । इन शिकायतों को आवश्यकतानुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया । निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया गया जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया का विनियंत्रण और अविनियमन, लोक शिकायतों पर कार्रवाई, जनता के साथ कामकाज में पारदर्शिता, जनसूचना केंद्र खोलना आदि शामिल है ।

मंत्रालय में 3-8 नवम्बर, 2003 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई । 'भ्रष्टाचार क्यों' विषय पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सप्ताह के अंत में विजेताओं और उपविजेताओं को एक समारोह में उचित पुरस्कार दिए गए ।

अध्याय - XII

संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण

नागरिकों को प्रभावी और जिम्मेदार प्रशासन सुलभ कराने और उन्हें जानकारी प्रदान करने और उनमें जागरूकता लाने के लिए इस मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर (आई.एफ.सी.) की स्थापना की गई है । इस काउंटर पर आम लोगों के लिए उपयोगी विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण सामग्री रखी गई है । जानकारी देने के अलावा इस काउंटर पर लोक शिकायत याचिकाएं भी स्वीकार की जाती हैं जिन्हें बाद में संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है ।

कार्य पद्धति मैनुअल के अनुसार, मंत्रालय में सभी अनुभागों/डेस्कों का वार्षिक संगठन एवं पद्धति निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित किए गए । इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के आदेशों के अनुसार ''सचिव के लिए कार्यात्मक सारांशऋतिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

संयुक्त सचिव (प्रशासन), मंत्रालय में गठित शिकायत निवारण तंत्र के प्रमुख हैं । वह लोक शिकायत निदेशक हैं । ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और शीघ्र निपटान के लिए शिकायत मामले संबंधित प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचा दिए जाते हैं । शिकायत निदेशक द्वारा शिकायतों की आवधिक/मासिक समीक्षा की जाती है तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है । मंत्रालय के कार्य की जानकारी देने, शिकायतों के निपटान आदि के लिए संपर्क अधिकारी के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया गया है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है । इस वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है । प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पी जी आर ए साफ्टवेयर का प्रचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है ।

रिकार्ड प्रकोष्ठ

रिकार्डों के प्रबंधन की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष 2003-2004 के दौरान पुराने रिकार्ड दर्ज करने, उसकी समीक्षा तथा उसे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया । नवंबर, 2003 तक 236 फाइलों को हटाया गया और 25 वर्ष से अधिक पुरानी 131 अप्रचलित फाइलें स्थायी रूप से रखे जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित कर दी गईं ।

अध्याय - XIII

विभागीय लेखा संगठन और ढांचा

मंत्रालय का लेखा प्रभाग, मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र प्रभार में है जो लेखों, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखापरीक्षा और नकदी प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है । मुख्य लेखा नियंत्रक के अलावा इस संगठन में तीन उप लेखा नियंत्रक, एक अवर सचिव (बजट), एक लेखा अधिकारी (बजट), 12 भुगतान और लेखा अधिकारी/दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, बंगलौर, लखनऊ और गोवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी तथा अन्य स्टाफ है । सचिवालय की नकद शाखा भी मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करती है ।

मंत्रालय के वार्षिक लेखे जैसे केंद्रीय लेन-देन विवरण, विनियोजन लेखे (अनुदान सं0 76-2002-03) और वित्त लेखे संकलित किए जाते हैं और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत किए जाते हैं । कंप्यूटर से प्राप्त व्यय के मासिक आंकड़े भी मंत्रालय के सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों/ क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि कार्यक्रमों और स्कीमों पर निगरानी रखी जा सके । लेखों के मासिक संकलन का पहले ही कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है जबकि भुगतान जैसे कार्य की अन्य मदों के कंप्यूटरीकरण पर कार्रवाई की जा रही है ।

मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन बजट प्रभाग, कार्य निष्पादन बजट के लिए विस्तृत मांगे, निरीक्षण रिपोर्टें तैयार करने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/लोक लेखा समिति पैराओं के लिए उत्तर का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है ।

मंत्रालय का बजट, अनुदान सं0 76 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है । वर्ष 2002-03 के लिए इस अनुदान के संबंध में बचत/आधिक्य/व्यय परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है । वर्ष 2002-2003 के लिए निधियों के स्रोत और उनका उपयोग (अनुप्रयोग) क्रमशः परिशिष्ट- IX और परिशिष्ट- X में दिया गया है ।

भुगतान और लेखा कार्यालयों के प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावे अर्थात् पेंशन, परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, सी जी ई जी आई एस और छुट्टी नकदीकरण आदि शीघ्रता से निपटाए जा रहे हैं ।

संगठन द्वारा इस वर्ष के दौरान इस मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों जो अनुदान सहायता प्राप्त करते हैं, द्वारा किए गए व्यय की आंतरिक लेखा परीक्षा की गई । मुख्यालय और क्षेत्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी (रा.रा.) ने राज्य लोक निर्माण विभागों, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय करते हैं, की आंतरिक जांच की । इसके अतिरिक्त, विशेष लेखा परीक्षा भी की गई जिसके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए ।

कंप्यूटरीकरण

मंत्रालय तथा मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, मंत्रालय के लेखा कार्यों में पूर्ण सुधार और पारदर्शिता के लिए कंप्यूटर प्रचालन के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं । इनमें से एक उपाय विभिन्न व्यय और लेखा प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए एन एच एफ एम आई एस की स्थापना करना । राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के संबंध में वित्तीय उपलब्धता, निहितार्थ और उनकी अनुमानित प्रगति के बारे में ऑन लाइन सूचना मिलने से मॉनिटरिंग और कार्यों के बीच में ही सुधार के लिए एक अद्वितीय जरिया प्राप्त होगा ।

मुख्य लेखा नियंत्रक की पहल पर लेखा व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किया गया एक और महत्वपूर्ण प्रयास एक कम्पैक्ट पैकेज का कार्यान्वयन है जिसमें भुगतान और लेखा कार्यालय के अधिकांश कार्य शामिल हैं । कम्पैक्ट पैकेज का समग्र उद्देश्य भुगतान और लेखा कार्यालय के विभिन्न कार्यों में सटीकता और तेजी लाना है । आंकड़ों को हाथ से लिखने की नीरसता को दूर करने के अलावा यह पैकेज यह सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सपोर्ट करता है कि एक बार डाटा की प्रविष्टि किए जाने पर मासिक लेखों के संकलन अथवा प्रबंधन सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए इन्हें पुनः दर्ज किए बगैर विभिन्न स्थानों पर इनका प्रयोग किया जा सकता है ।

कम्पैक्ट पैकेज से विद्यमान लेखा पद्धति में सुधार ही नहीं होगा अपितु इससे अधिक प्रबंधन सूचना प्राप्त होगी तथा लेखा सूचना के बेहतर विश्लेषण में भी इससे मदद मिलेगी ।

ऐसे अनेक कार्य हैं जो नीरस होते हैं, विशेषतः सामंजस्य से संबंधित कार्य । कम्पैक्ट पैकेज से ऐसे कार्य में मदद मिलेगी तथा सटीकता और राजस्व नियंत्रण में सुधार होगा ।

यह पैकेज कंप्यूटरीकरण विधिमान्यता के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा की सुविधा भी प्रदान करता है जिससे लेखों की गुणता में सुधार होता है । कार्यालय परिवेश में सुधार, कंप्यूटरीकरण का सदैव एक सहायक कार्य रहा है और उम्मीद है कि भुगतान और लेखा कार्यालयों में भी ऐसा होगा ।

इसके अतिरिक्त, कंप्यूटरीकरण के विस्तार के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में अनेक अन्य उपाय किए जा रहे हैं । इनके अंतर्गत अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से सरकारी लेखा और वित्त संस्थान भेजा जाता है ।

CHAPTER XIV

विविध

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों का सारांश

इस मंत्रालय के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में उल्लिखित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश परिशिष्ट XI में दिया गया है ।

महिलाओं के संबंध में सरकारी नीतियां

यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण तथा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमावली के संचालन के लिए जिम्मेदार है । इस तरह, लिंग आधारित कोई विशेष स्कीम और नीतियां नहीं है । मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में किए गए प्रयास का लिंग अथवा आयु से कोई संबंध नहीं है ।

परिशिष्ट - I

निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं की सूची

मंत्रालय की पथकर आधारित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु0	वर्तमान स्थिति
1	थाने-भिवंडी बाइपास	3	महाराष्ट्र	24	103	पूरा हो गया
2	नरधाना आर ओ बी	3	महाराष्ट्र	13	34.21	पूरा हो गया
3	हुबली-धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	30.35	68	पूरा हो गया
4	रा रा 4 पर खंभात की घाट में अतिरिक्त 2 अतिरिक्त 2 लेन और सुरंग का निर्माण	4	महाराष्ट्र	8	37.8	पूरा हो गया
5	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	सं0 6	50	पूरा हो गया
6	कोसास्थलैयार पुल	5	तमिलनाडु	-	30	पूरा हो गया
7	नसीराबाद आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	30 मीटर	10.45	पूरा हो गया
8	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	530 मीटर	32.6	पूरा हो गया
9	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	11	24	पूरा हो गया
10	माही पुल	8	गुजरात	-	42	पूरा हो गया
11	वात्रक नदी पर पुल	8	गुजरात	-	48.2	पूरा हो गया
12	चत्थन सड़क उपरि पुल	8	गुजरात	4 लेन आर ओ बी	10	पूरा हो गया
13	नर्मदा पुल	8	गुजरात	6	113	पूरा हो गया
14	पाताल गंगा पुल व आरओ बी	17	महाराष्ट्र	सं01	33.3	पूरा हो गया
15	डेराबासी में आर ओ बी	22	पंजाब	-	31.48	पूरा हो गया
16	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33	90	पूरा हो गया
17	कटनी बाइपास 7		मध्य प्रदेश	17.5	42.00	प्रगति पर
18	रा.रा.3 पर गुना बाइपास	3	मध्य प्रदेश	18	30.00	सैद्धांतक अनुमोदन दिया गया
19	रा.रा. 3 पर 380/0 से 440/0 कि.मी. द्वारका फ्लाईओवर सहित गोंडे - नासिक - । तकर्पिंपलगांव सड़क को 4 लेन का बनाना	3	महाराष्ट्र	60	246.00	एल एंड टी ने पूर्वअर्हता प्राप्त की । वित्तीय प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।
20	रा.रा. 6 पर 113/800 कि.मी. में पिंगलई नदी पर पुल का निर्माण	6	महाराष्ट्र	-	8.20	कार्य सौंप दिया गया है । रियायत करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
21	रा.रा. 6 पर फेकरी के पास 399/0 कि.मी. में आर ओ बी का निर्माण	6	महाराष्ट्र	-	11.80	सी एस डी अनुमोदित । वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त होना है ।
22	रा.रा. 6 के रायपुर - दुर्ग खंड को 4 लेन का बनाना	6	छत्तीसगढ़	26.6	48.00	प्रगति पर
23	रा.रा. 9 के 14/0 से 40/0 कि.मी. में पुणे-शोलापुर सड़क को चार लेन का बनाना	9	महाराष्ट्र	26	88.00	प्रगति पर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु0	वर्तमान स्थिति
24	रा.रा. 9 के 210/0 से 241/0 कि.मी. में पुणे-शोलापुर सड़क को चार लेन का बनाना ।	9	महाराष्ट्र	31	62.00	पूर्वअर्हता पूरी की गई । निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं ।
25	रा.रा. 14 पर सेंधरा के समीप आर ओ बी और पहुंच मार्गों का निर्माण (12 कि.मी.)	14	राजस्थान		10.00	सिद्धांतः अनुमादित। 10,000 कि.मी. रा.रा. को 4 लेन का बनाने के साथ यह कार्य एन एच ए आई को सौंप दिया गया है ।
26	12/190 से 40/00 कि.मी. तक रा.रा. 50 को 4 लेन का बनाना	50	महाराष्ट्र	27.81	105.00	प्रगति पर ।
27	180/00 से 208/640 कि.मी. तक रा.रा. 50 पर नासिक-सिनार सड़क को 4 लेन का बनाना	50	महाराष्ट्र	28.64	76.00	निविदाएं आमंत्रित की गई । कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई । निविदादाताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

पथकर आधारित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु0	वर्तमान स्थिति
1	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	18.4	68	पूरा हो गया
2	किशनगढ़ बाइपास पर आर ओ बी	8	राजस्थान	1	16.66	पूरा हो गया
3	सतारा-कागल खंड को 4 लेन का बनाना	4	महाराष्ट्र	133	600.00	प्रगति पर
4	तुमकुर-नीलमंगला खंड (रा.रा.4 का 29.5 से 62.0 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना	4	कर्नाटक	32.5	155	प्रगति पर
5	टाडा (52.8 कि.मी.) - नेल्लोर (163.6 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	110.52	621.35	प्रगति पर
6	दिल्ली-गुड़गांव खंड	8	हरियाणा	27.7	555.00	प्रगति पर
7	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	आंध्र प्रदेश	35	138.65	प्रगति पर
8	विवेकानंद पुल व पहुंच मार्ग	2	पश्चिम बंगाल	6	641.00	प्रगति पर
9	महापुरा (जयपुर के पास)-किशनगढ़ (273.5-263.885 कि.मी.)	8	राजस्थान	90.38	644.00	प्रगति पर

वार्षिकी आधारित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु0	वर्तमान स्थिति
1	पानागढ़-पालसित खंड को 4 लेन का बनाना	2	पश्चिम बंगाल	64.457	350	प्रगति पर
2	पालसित-दनकुनी (दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग) खंड को 4 लेन का बनाना	2	पश्चिम बंगाल	65	432.40	प्रगति पर
3	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव खंड को 4 लेन का बनाना	4	कर्नाटक	77	332	प्रगति पर
4	अनाकपल्ली-तुनी खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	58.947	283.2	प्रगति पर
5	तुनी-धर्मावरम खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	47	232	प्रगति पर
6	धर्मावरम-राजमुंदरी खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	53	206	प्रगति पर
7	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	17.2	143.20	प्रगति पर
8	ताम्बरम-टिंडीवनम खंड को 4 लेन का बनाना	45	तमिलनाडु	93	375	प्रगति पर

एस पी वी परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु0	वर्तमान स्थिति
1	जयपुर बाइपास चरण -II रा.रा.8 का 221 कि.मी.- रा.रा.211 का 246 कि.मी.	8 और 11	राजस्थान	34.7	210	प्रगति पर
2	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण-II 43.3 (नादियाड़ - डकोर राज्यीय राज.) - 93.302 कि.मी.	एनई-I	गुजरात	50	265	प्रगति पर
3	रा.रा.17 पर वर्ना जंक्शन से मुरगांव के बीच मुरगांव पत्तन के लिए पत्तन संपर्क	17बी	गोवा	18	80	प्रगति पर
4	जवाहर लाल नेहरू पत्तन (चरण-I) महापत्तन सड़क संपर्क चरण - I	4बी और 4	महाराष्ट्र	30	177.12	प्रगति पर
5	हल्दिया पत्तन महापत्तन सड़क संपर्क चरण - I	41	पश्चिम बंगाल	53	273	प्रगति पर
6	विशाखपत्तनम पत्तन महापत्तन सड़क संपर्क चरण - I	राज्यीय राजमार्ग	आंध्र प्रदेश	12	93.79	प्रगति पर

परिशिष्ट - II

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214 और 219	4002
2	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151,152,153 और 154	2836
4	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 30, 30ए, 31, 57, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107	3312
5	चंडीगढ़	21	24
6	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216 और 217	1810
7	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9	गुजरात	एन ई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15 और 59	2461
10	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72 और 73	1357
11	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72 और 88	1188
12	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, और 1सी	823
13	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99, और 100	1603
14	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 206, 207, 209, 212 और 218	3570
15	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79 86 और 92	4664
17	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204 और 211	3626
18	मणिपुर	39, 53 और 150	954
19	मेघालय	40, 44, 51 और 62	717
20	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21	नगालैंड	36, 39, 61 और 150	369
22	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203, 215 और 217	3301
23	पांडिचेरी	45ए और 66 53	
24	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 12, 14, 15, 65, 76, 79, 79ए, 89 और 90	4597
26	सिक्किम	31ए 62	
27	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 46, 47, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	3758
28	त्रिपुरा	44 और 44ए 400	
29	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108 और 109	1075
30	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96 और 97	4942
31	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 80 और 81	1951
		कुल योग	58112

परिशिष्ट - III

वर्ष 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण ।

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/एंघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास आबंटन			अनुरक्षण आबंटन
		एन एच (ओ)	पी.बी.एफ.एफ.	जोड़	
1	आंध्र प्रदेश	95.00	7.51	102.51	32.62
2	अरुणाचल प्रदेश	3.00	-	3.00	0.58
3	असम	70.00	1.17	71.17	23.81
4	बिहार	77.00	12.90	89.90	36.41
5	चंडीगढ़	2.00	-	2.00	0.45
6	छत्तीसगढ़	40.00	0.83	40.83	19.73
7	दिल्ली	7.00	-	7.00	0.60
8	गोवा	6.00	-	6.00	3.57
9	गुजरात	78.00	11.76	89.76	26.40
10	हरियाणा	55.00	-	55.00	10.38
11	हिमाचल प्रदेश	47.00	-	47.00	14.65
12	जम्मू और कश्मीर	4.00	-	4.00	0.58
13	झारखंड	30.00	-	30.00	16.08
14	कर्नाटक	80.00	3.98	83.98	32.00
15	केरल	75.00	4.86	79.86	18.19
16	मध्य प्रदेश	85.00	8.48	93.48	55.47
17	महाराष्ट्र	120.00	7.80	127.80	42.37
18	मणिपुर	15.00	0.06	15.06	9.47
19	मेघालय	24.00	0.70	24.70	8.12
20	मिजोरम	23.00	-	23.00	4.66
21	नगालैंड	15.00	-	15.00	2.79
22	उड़ीसा	75.00	1.97	76.97	42.15
23	पांडिचेरी	2.00	-	2.00	0.76
24	पंजाब	48.00	2.27	50.27	18.07
25	राजस्थान	93.00	3.73	96.73	39.07
26	तमिलनाडु	95.00	2.04	97.04	38.76
27	उत्तर प्रदेश	145.00	14.94	159.94	51.24
28	उत्तरांचल	25.00	1.00	26.00	7.65
29	पश्चिम बंगाल	90.00	-	90.00	22.29
	उप जोड़	1524.00	86.00	1610.00	578.92
30	मंत्रालय	18.00	-	18.00	-
31	बी आर डी बी	210.00	-	210.00	12.00
32	एन एच ए आई	-	-	-	93.00
33	आरक्षित	2.00	-	2.00	5.60
	कुल जोड़	1754.00	86.00	1840.00	689.52

एन एच (ओ) - योजना निधि से
पी.बी.एफ.एफ. - स्थायी पुल शुल्क निधि

परिशिष्ट - IV

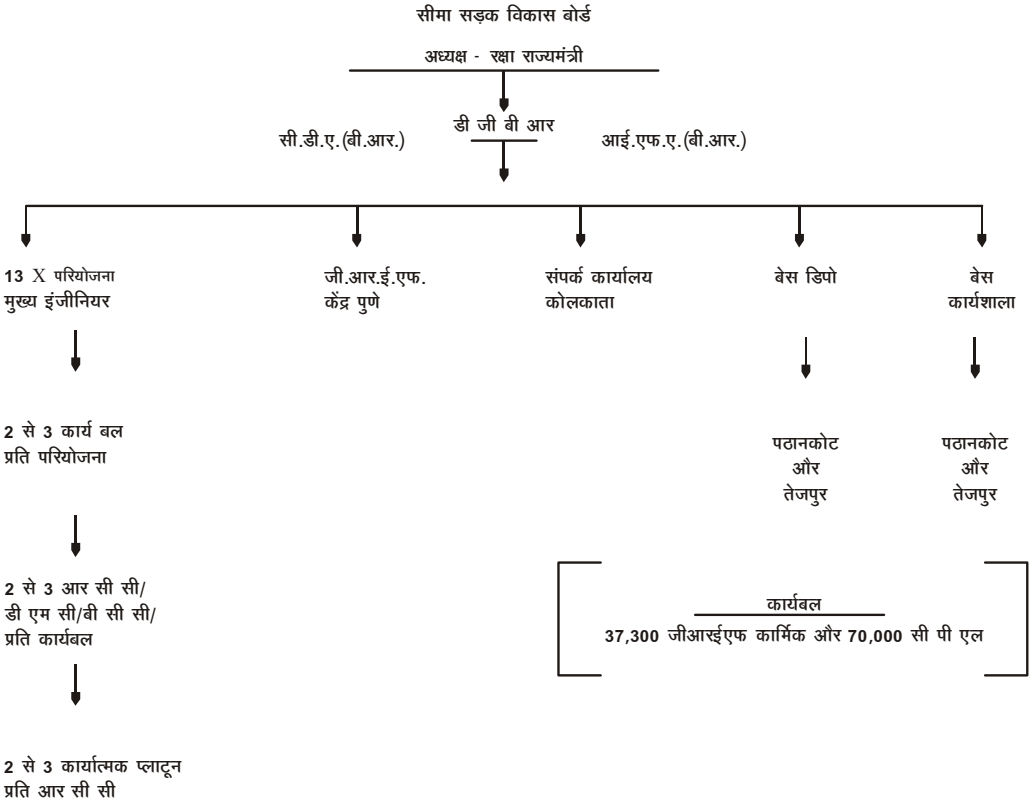

आर सी सी -	सड़क निर्माण कंपनी
डी एम सी -	नाली अनुरक्षण कंपनी
बी सी सी -	पुल निर्माण कंपनी
सी डी ए -	रक्षा लेखा नियंत्रक
आई एफ ए -	एकीकृत वित्तीय सलाहकार
सी पी एल -	दैनिक वेतनभोगी श्रमिक

परियोजना की अध्यक्षता कोर ऑफ इंजीनियर्स के ब्रिगेडियर अथवा जी आर ई एफ के मुख्य इंजीनियर रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, कर्नल अथवा अधीक्षण अभियंता (सिविल) द्वारा कार्यबल की, मेजर अथवा कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) द्वारा सड़क निर्माण कंपनी की और कैप्टन अथवा सहायक कार्यपालक इंजीनियर द्वारा कार्यात्मक प्लाटून द्वारा की जाती है ।

परिशिष्ट - V

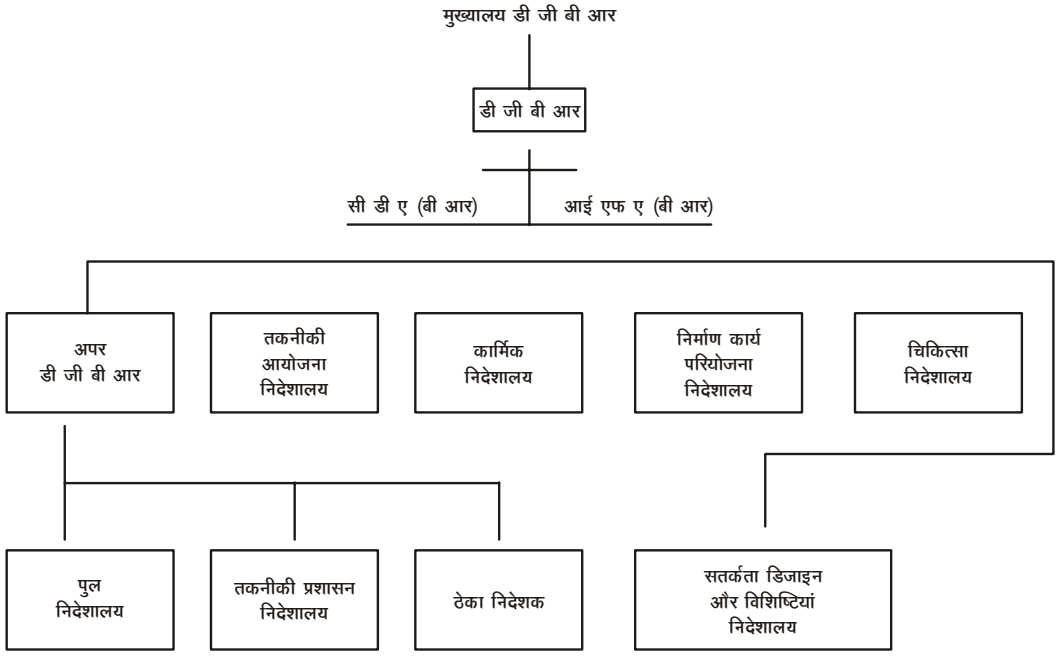

नोट - प्रत्येक निदेशालय का प्रमुख ब्रिगेडियर/मुख्य इंजीनियर स्तर का जी आर ई एफ अधिकारी होता है सिवाय ठेका निदेशक के जिसका अध्यक्ष सेना इंजीनियरिंग सेवा (एम ई एस) संवर्ग से वरिष्ठ कार्य सर्वेक्षक होता है ।

1995 में बी आर ओ में एकीकृत वित्तीय सलाहकार प्रणाली की शुरूआत से निर्णय लेने और निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर अर्थात् मुख्यालय डी जी बी आर, मुख्यालय मुख्य इंजीनियर परियोजना और मुख्यालय कार्यबल के स्तर पर एक सुसस्थापित आई एफ ए स्थापना कार्य करती है । आई एफ ए (बी आर) को कार्य अनुमान संबंधी कार्रवाई करने और उसे स्वीकृत करने के लिए आई एस ओ 9002 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था । मुख्यालय डी जी बी आर के तकनीकी प्रशासनिक निदेशालय को भी संयंत्र, वाहन और उपस्कर खरीदने की प्रक्रिया के लिए आई एस ओ 9002 प्रदान किया गया था ।

परिशिष्ट - VI

राट्रीय राजमार्गों के विकास की ओर

रा.रा.	खंड	लंबाई (कि.मी.)
जी एस द्वारा विकसित और अनुरक्षित		
रा.रा.1ए	पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर-उरी	505
रा.रा.22	वांगटू-पुह	89
रा.रा. 31ए	सिवोक-गंगटोक	93
	जोड़	687 कि.मी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित और जी एस द्वारा अनुरक्षित		
रा.रा.1बी	बटोट-किश्तवाड़-सिंथन पास	192
रा.रा. 1सी	डोमेल-कटरा	15
रा.रा.31	सिवोक-रेलवे क्रासिंग	3
रा.रा. 58	ऋषिकेश- जोशीमठ-माणा	300
रा.रा.44	जोवई-रताचेरा-चुरईबाड़ी-अगरतला (1996/2000)	415
रा.रा. 53	बदरपुर-सिल्चर-जिरीबम-इम्फाल (1996)	288
रा.रा. 54	सिल्चर-बेरंगटे-आइजोल-तुइपंग(1996)	561
रा.रा. 54ए	थेरियाट-लुंगलेई	9
रा.रा. 54बी	वीनस सैदल-सेहा	27
रा.रा. 39	दीमापुर-कोहिमा-मऊ मारम (1996)	129
रा.रा. 52	जोनई-दीरक	334
रा.रा.52ए	बंदरदेवा-ईटानगर-गोहपुर(1996/2000)	61
रा.रा. 94	ऋषिकेश-धरासू	122
रा.रा. 150	कोहिमा-लैनी-जेसामी (2000)	130
	जोड़	2586 कि.मी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित और अनुरक्षित			
16	जगदलपुर	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा	291
62	दुधनई	नंगवालबीब्रा (2000)	82
44 विस्तार	अगरतला	सबरूम	131
150 (भाग)	जेसामी	येंगंगपोकपी	158
44ए	लुईपेंग	मानु (2000)	22
रा.रा. 52	दीरक	रूपई	31
रा.रा. 52	बहीथा चारली	जोनई	509
रा.रा. 202	भोपालपटनम	तरालूगुडा	36
रा.रा. 108	धरासू	भैरोंघाटी	124
रा.रा. 109	रूद्रप्रयाग	गौरीकुंड	76
रा.रा. 151	करीमगंज	सूत्रकंडी (2000)	14
		जोड़	1474 कि.मी.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण			
17बी	वर्ना	सदा	18
		कुल जोड़	4765 कि.मी.

परिशिट -VI (जारी)

बाइपास

रा.रा.	खंड	लंबाई (कि.मी.)
क) उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र		
1.	पटियाला	19.07 कि.मी.
2.	पटियाला (उत्तरी)	12.92 कि.मी.
3.	बटाला	6.34 कि.मी.
4.	गुरदासपुर (पश्चिमी)	5.226 कि.मी.
5.	संगरूर	18.99 कि.मी.
6.	रोहतास (दक्षिणी)	24.50 कि.मी.
7.	सोनीपत	8.70 कि.मी.
8.	जोधपुर	43.60 कि.मी.
9.	जैसलमेर	92.60 कि.मी.
10.	सैंचोर	23.35 कि.मी.
11.	गंगानगर	23.71 कि.मी.
12.	हनुमानगढ़ बाइपास सुधार कार्य	10.70 कि.मी.
13.	उधमपुर	17.70 कि.मी.
14.	रामबन	5.14 कि.मी.
15.	बटोट (सुदृढ़ीकरण कार्य)	1.70 कि.मी.
16.	नसरी (सुदृढ़ीकरण कार्य)	17.92 कि.मी.
17.	वोइल	33.41 कि.मी.
18.	सोपोर	5.00 कि.मी.
19.	बारामूला	1.40 कि.मी.
20.	कानाबल	5.00 कि.मी.
21.	नगरौता	14.16 कि.मी.
22.	कारगिल टाउन	12.50 कि.मी.
23.	रुद्रप्रयाग फेज I	3.90 कि.मी.
24.	रुद्रप्रयाग फेज II	9.50 कि.मी.
25.	भद्र (केवल अनुरक्षण)	4.60 कि.मी.
26.	संगरिया (केवल अनुरक्षण)	6.37 कि.मी.
27.	सूरतगढ़ (केवल अनुरक्षण)	4.30 कि.मी.
ख) पूर्वी क्षेत्र		
1	अगरतला बाइपास	13.58 कि.मी.
2	करीमगंज बाइपास	3.84 कि.मी.
3	सिलचर बाइपास	20.10 कि.मी.
4	सोनापुर बाइपास	9.46 कि.मी.

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रधानमंत्री पैकेज का वर्ष दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत विकास/ उन्नयन कार्य शामिल किया गया था ।)

परिशिष्ट - VII

सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

1.1.2004 की स्थिति के अनुसार

तकनीकी						
समूह संख्या	स्वीकृत कर्मचारियों की	इस समय कुल	अ.जा.	कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत
क	208	157	22	14.01	8	5.10
ख	22	15	1	6.66	1	6.66
ग	103	66	14	21.21	1	1.52
घ	0	0	0	0	0	0
जोड़	333	238	37	15.55	10	4.20

गैर तकनीकी						
क	31	29	4	13.79	0	0.0
ख	191	188	34	18.09	9	4.78
ग	280	238	44	18.49	7	2.94
घ	206	189	66	34.92	7	3.70
जोड़	708	644	148	22.98	23	3.57

परिशिष्ट - VIII

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(करोड़ रु.)

स्थायी पुल शुल्क निधि	
1.4.2002 को आदि शेष 156.03	
2002-2003 के दौरान प्राप्तियां	100.00
2003-2004 के दौरान भुगतान	77.55
31.3.2003 को अंत शेष	178.48

(करोड़ रु.)

केंद्रीय सड़क निधि		
1.4.2002 को आदि शेष	2650.58	
2002-2003 के दौरान प्राप्तियां	3080.00	
2003-2004 के दौरान भुगतान	2972.03	
31.3.2003 को अंत शेष	2758.55	

वर्ष 2002-2003 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुदान

(हजार रु.)

अनुदान सं. और नाम		मूल	पूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
अनुदान सं.76 सड़क परिवहन और और राजमार्ग	राजस्व लेखा	57766200	300	57766500	54767704	-2998796	2294756
	पूंजी लेखा	61365200	6300	61371500	54900304	-6471196	5637600
	जोड़	119131400	6600	119138000	109668008	-9469992	7932356

परिशिष्ट -IX

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय लेन-देन विवरण के अनुसार निधियों के स्त्रोत

(करोड़ रु.)

	मुख्य शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03
(क)	राजस्व प्राप्तियां	811.65	620.97	620.95
1.	0021 नैगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	6.42	19.19	19.60
2.	0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1.00	1.06	1.83
3.	0049 ब्याज की प्राप्तियां	629.55	412.76	333.37
4.	0050 लाभांश और लाभ	49.99	81.66	167.72
5.	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.02	0.02	0.02
6.	0071 पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	0.63	5.19	1.17
7.	0075 विविध सामान्य सेवाएं	11.73	1.38	0.04
8.	0210 चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	0.13	0.13	0.13
9.	0216 आवास	0.20	0.21	0.21
10.	0852 परिवहन उपस्कर सेवाएं			--
11.	1054 सड़क और पुल	111.96	99.31	96.77
12.	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.02	0.06	0.09
(ख)	पूंजीगत प्राप्तियां	189.35	46.18	47.96
1.	6250 अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	--	--	--
2.	6858 इंजीनियरी उद्योगों के लिए ऋण	9.72	26.78	25.92
3.	7075 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	160.68	--	4.50
4.	7601 राज्य सरकार को ऋण तथा अग्रिम	18.04	18.31	16.32
5.	7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.91	1.09	1.22
(ग)	कुल प्राप्तियां	1001.00	667.15	668.91
(घ)	लोक लेखा प्राप्ति (निवल)	6073.16	6047.29	6431.76

वर्ष 2002-2003 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों का उपयोग

(करोड़ रु.)

विवरण	2000-2001			2001-2002			2002-2003		
	योजनागत	गैर-योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर-योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर-योजनागत	जोड़
राजस्व व्यय	3699.99	796.25	4496.24	3489.57	1383.25	4872.82	4101.84	1394.62	5496.46
2049-ब्याज का भुगतान	--	10.98	10.98	--	11.29	11.29		5.11	5.11
2071-पेंशन का भुगतान (एम2071)	--	6.45	6.45	--	5.66	5.66		7.27	7.27
2075- विविध सामान्य सेवाएं	--	1.16	1.16	--	--	--			
2235-सामजिक सुरक्षा एवं कल्याण	--	0.05	0.05	--	0.04	0.04		7.3	7.3
3054-सड़क एवं पुल	3687.37	750.94	4438.31	3163.48	858.99	4022.47	3090.33	805.21	3895.54
3055-सड़क परिवहन	4.59	--	4.59	5.17	--	5.17	27.16		27.16
3451-सचि. आर्थिक सेवाएं	--	26.67	26.67	--	38.10	38.10		35.29	35.29
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8.03	--	8.03	320.90	469.17	790.07	982.16	534.44	1516.60
3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	--	--	--	0.02	--	0.02	2.19		2.19
पूंजी व्यय	1962.33	1.73	1964.06	4903.40	272.34	5175.74	5237.92	254.10	5492.02
5054-सड़क एवं पुल	1962.33	--	1962.33	4790.46	272.34	5062.80	4936.92	252.11	5189.03
7075-अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	--	--	--	112.94	--	112.94	301.00		301.00
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण	--	1.73	1.73	--	--	--		1.99	1.99
कुल जोड़	5662.32	797.98	6460.30	8392.97	1655.59	10048.56	9339.76	1648.72	10988.48

परिशिष्ट -XI

लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

पथकर की वसूली के लिए पट्टे को अनियमित रूप से जारी रखना - पट्टा धारक द्वारा मासिक भुगतान में नियमित चूक के बावजूद पथकर की वसूली के लिए पट्टे का रद्द करने में विफलता के फलस्वरूप अनुचित लाभ हुआ जिससे उसे सड़क प्रयोक्ताओं से पथकर की वसूली जारी रखने का अवसर मिला जबकि सरकारी बकाया राशि का वसूल नहीं किया जा सका ।

(वर्ष 2003 की रिपोर्ट सं0 2 का पैरा 10.1)
लेन देन लेखा परीक्षा टिप्पणियां

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार की गलती के कारण कार्य पुनः सौंपने पर अतिरिक्त लागत की वसूली करने में असफलता के कारण प्राधिकरण को 4.95 करोड़ रु0 का घाटा हुआ ।

(वर्ष 2003 की रिपोर्ट सं0 3 का पैरा 20.1.2)
वाणिज्यिक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को 4.47 करोड़ रु0 का अधिक भुगतान किया गया जो करार की शर्तों के अनुसार नहीं था ।

(वर्ष 2003 की रिपोर्ट सं0 3 का पैरा 20.1.3)
वाणिज्यिक